



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 19 फरवरी, 2026 / 30 माघ, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

OFFICE OF EXECUTIVE OFFICER MUNICIPAL COUNCIL, GHUMARWIN,
DISTRICT BILASPUR (H.P.)

NOTIFICATION

Ghumarwin, the 22nd September, 2025

No. MCG/Hoarding/2025.—In exercise of the powers conferred under Section 125, 126, 127, 128 read with Sections 202 and 214 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994,
254—राजपत्र / 2025—19—02—2026 (11601)

I, Khem Chand Verma, Executive Officer, Municipal Council Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh hereby notify the following Advertisement and Hoarding Bye-Laws:—

**MUNICIPAL COUNCIL GHUMARWIN, ERECTION, EXHIBITION, AFFIXATION OF
ADVERTISEMENT AND HOARDING BYE-LAWS 2025**

1. Short title, commencement and application.—These Bye-laws may be called, "MUNICIPAL COUNCIL GHUMARWIN, ERECTION, EXHIBITION, AFFIXATION OF ADVERTISEMENT AND HOARDING BYE-LAWS 2025".

- (ii) These Bye-laws shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette (Rajpatra).
- (iii) These Bye-laws shall be applicable within the jurisdiction of Municipal Council Ghumarwin as defined from time to time.

2. Definitions:

- (i) In these Bye-laws, unless the context otherwise requires:—
 - (a) "**Act**" means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) as amended from time to time.
 - (b) "**Applicant**" means any person applying for permission for erection, exhibition, affixation of advertisement and hoarding upon the land and buildings falling within the jurisdiction of Municipal Council Ghumarwin which include the Government/Semi Government and Private buildings.
 - (c) "**Authorized Officer**" means any Officer/Official duly authorized by the Municipality or its Sr. Executive Officer/Executive Officer/Secretary under these Bye-laws.
 - (d) "**Hoarding**" means any advertisement to be placed by way of erection, exhibition and affixation or to retain upon or over any land, building, wall, boarding, frame, poster structure or upon in any vehicle including, any advertisement exhibited by means of cinematography.
 - (e) "**Place**" means authorized sites/locations specified by the Municipal Council Ghumarwin erection, exhibition and affixation of advertisement hoarding, with the limits of council/corporation.
 - (f) "**Permission**" means sanction/approval granted by the Sr. Executive Officer/Executive Officer/Secretary or the Officers authorized by him in this behalf for erection, exhibition and affixation of advertisement hoardings.
 - (g) "**Special Judicial Magistrate 1st Class**" means the Judicial Magistrate having jurisdiction over the area of Municipal Council Ghumarwin under the Act.
 - (h) words and expressions used in these Bye-law but not defined herein shall have the meaning respectfully assigned to them under the Act.

3. Prohibition of advertisement without written permission of the Sr. Executive Officer/Executive Officer/Secretary:—

- (i) No advertisement shall be erected, exhibited, affixed or retained upon or over any land building, wall boarding, frame, post or structure or upon in any vehicle or shall be displayed in any manner, whatsoever in any place within the Municipal area including private land and buildings without the written permission of the Sr. Executive Officer/Executive Officer/Secretary granted in accordance with these bye-laws except the advertisement hoardings of the Central, State Government highlighting the achievements of the Government within the area of Municipal area.
- (ii) All such advertisement hoarding erected/installed by any other individual, authority or agency including the public sector undertakings duly owned and controlled by the Government shall be liable to seek prior permission for erection and installation of such hoardings within the territorial jurisdiction of the Municipal area on such fees and other terms and condition as may be fixed in this behalf by the concerned officer under these bye-laws. However, no permission shall be permissible for the hoardings to be installed by Central, State Government highlighting the achievements of the Government within the Municipal area.
- (iii) Any person authority or agent found erecting, exhibiting and affixing the advertisement hoardings illegally, unauthorized and without any permission shall be liable for penalty under these Bye-laws and such hoardings along with frame structure/ vehicle displaying the same shall be impounded.

4. Procedure for application and grant of permission:—

- (i) The applicant or the person concerned, intending to erect, exhibit or affix advertisement hoardings within the Municipality's area, shall **submit in writing** the details of the location/site and size of the hoarding to be occupied for such installation, or through the online Citizen Seva Portal, to the Sr. Executive Officer/Executive Officer/ Secretary or the Officer authorized in this behalf.
- (ii) The application submitted by the applicant, through offline or online channels, shall be verified by the concerned branch dealing with hoarding permissions. This branch shall, after spot inspection, process the application for the authority's approval for the grant of necessary permission in favour of the applicant, after assessing the hoarding charges for the erection, affixation and exhibition of such hoarding, and convey the same to the applicant before granting permission.
- (iii) Applicant or the person concerned, intending to erect, exhibit and affix the advertisement hoardings within the area of the Municipality shall in writing submit the detail of the location/site, size of hoarding to be occupied for such installation or through online Citizen Seva Portal to the Sr. Executive Officer/Executive Officer/Secretary or the Officer authorized in this behalf.
- (iv) The application submitted by the applicant shall be verified by the concerned branch dealing with hoarding permission who shall after spot inspection process the same for the approval of the authority for grant of necessary permission in favour of the applicant after assessing the hoarding charges for erection, affixation

and exhibition of such hoarding and convey the same to the applicant before granting permission.

- (v) The permission for erection, affixation and exhibition of advertisement hoarding shall be accorded only after obtaining receipt of the amount to be deposited by the applicant in the Municipality on this account.
- (vi) The place for erection, affixation and exhibition of advertisement hoarding shall be communicated to the applicant by the concerned branch of the Municipality in writing and the name of the place/site of erection, affixation and exhibition of advertisement hoarding by the applicant shall also be mentioned on the hoardings to be affixed/erected and installed alongwith the date and period of sanction on such hoarding. Further, intimation of the same shall also be given to Municipality or to the concerned agency or the contractor hired or engaged by the Municipality for managing the sites for erection, affixation and exhibition of advertisement hoardings.
- (vii) In the case of advertisement affixed, erected and installed upon vehicle, a person shall have to carry the original permission, a copy of which shall be affixed on the 'windscreen of the vehicle and the same shall have to be shown to the authorized officer of the Municipality at the time of inspection. Further, all other persons, authority or agency shall also be liable to show the sanction to the inspecting staff of the Municipality at any time.
- (viii) The permission granted by the Municipality for erection, exhibition and affixation of advertisement hoarding shall be time specific and after expiry of period of permission, the concerned person, authority and agency shall be liable to remove the same forthwith failing which the same shall be removed by the Municipality at the risk cost and responsibility of the person concerned.

In addition, the Authorised Officer shall impose penalty at the rate of Rs.1000/- (One Thousand) per day and amount shall be recovered from the concerned as per the provision contained in Section 87 of the H.P. Municipal Act, 1994.

- (ix) In case the advertisement hoarding is affixed on the private land or building including shops and the person concerned have failed to release the amount of fees to be paid to the Municipality on account of such sanction, the Authorised Officer in addition to the aforesaid penalty shall take steps to withdraw civic amenities granted in favour of the person concerned and also to make request to concerned authority for withdrawal of sanction/ recognition granted by them in favour of the person concerned.
- (x) The size of the hoarding shall not be more than the size as fixed by the Municipality and all the advertisement hoarding shall be installed in the specified area and no hoarding shall be installed in heritage area or in valley side above the road level and on the roofs of the buildings. All the hoardings must be installed, erected in a way so as to preserve the aesthetics, scenic beauty and the view of the hills.
- (xi) No advertisement hoarding shall be erected on sharp and blind curves and should not be located in oblique to the road on any natural water source, tree, water line,

Municipal drain, fire hydrant and on garbage containers and at a place where it effects the growth of flora etc.

- (xii) No advertisement hoarding shall be permitted within the area started from to or restricted area except the advertisement hoardings to be installed by the specific order of the State Government for a particular occasion.
- (xiii) The Authorised officer in the exceptional circumstances or in the larger public interest may permit any person, authority or agency to erect, exhibit or affix the advertisement hoardings pertaining to social or State and National interest matter only for a period of 7 days in any area including Core/Heritage area.
- (xiv) No advertisement hoarding in contravention of any law, rules norms, notification or direction issued by the State Government or by the Municipality shall be erected, affixed and installed within the limits of Municipal area. Further the directive issued by any Court of law in this regard shall be binding upon all the concerned.

5. Rates for affixation, erection and installation of advertisement hoarding.—The rate shall be notified/fixed by the Municipality for affixation, erection and installation of advertisement hoarding from time to time and the same shall be notified to the concerned seeking such permission.

6. Duties and responsibilities of the applicant:—

- (i) It shall be the duty and responsibility of the applicant to make available all the sanctions/permissions granted by the competent authority to the said person, authority or agency to whom such permission has been granted by the Municipality and to follow the instructions/guidelines issued by the Municipality or by the Central /State Government in this regard from time to time.
- (ii) Whosoever is found affixing, erecting and exhibiting the advertisement hoarding at a place other than the places so approved for such purpose and in contravention of conditions specified by the Municipality, in such sanction the person, authority and agency shall be liable jointly for penalty under these Bye-laws in addition to the penalties already provided under the H.P.Municipal Act, 1994.

7. Compounding of offences.—All the offences punishable under these Bye-laws may, before, be compounded by such officer as may be authorized by the payment of such sum as may be the institution of prosecution, Municipality or its Authorised Officer in this behalf, on specified by such officer under these Bye-laws.

8. Offences to be tried summarily.—The offences which are not compounded shall be tried in a summary manner by the Special Judicial Magistrate 1st having jurisdiction of the Municipal area as per provision contained under law.

9. Penalty:—

- (i) Whosoever, is found guilty of affixing, erecting and exhibiting the advertisement hoarding at a place other than the place(s) specified/ notified by the Municipality the rate of penalty shall be Rs.100/ (One Hundred) per square feet per day to be

calculated from the date of erection/affixation of such unauthorized hoarding and till its removal by the concerned or by the Municipality.

- (ii) In case of repeated violation and the person concerned failed to release the due amount including penalty to the Municipality within a period of 15 days, as the case may be, he/she shall also be liable for disconnection of water, electricity and others civic amenities and the Municipality may request the competent authority for withdrawal of recognition and registration, if any, granted in his/her favour including withdrawal of building sanction granted in favour of the owner concerned if such unauthorized hoarding is found erected upon the building concerned.

10. Repeal and Savings.—The scheme regulation, bye laws if any, relating to affixation, erection and exhibition of advertisement hoardings is hereby repealed. Anything done or any action taken under the said scheme, bye-laws and Regulations the same shall be deemed to have been done or taken under the provisions of these bye-laws.

By order,

*Executive Officer,
MC Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).*

**OFFICE OF EXECUTIVE OFFICER MUNICIPAL COUNCIL, GHUMARWIN,
DISTRICT BILASPUR (H.P.)**

NOTIFICATION

Ghumarwin, the 22nd September, 2025

No. MCG/PETS/2025.—Whereas, the Municipal Council Ghumarwin has created new bye-laws, called the **(Registration & Control of Dogs) Pet Bye-Laws-2025**, to manage the pet dog population and address related public issues within the municipal area.

In exercise of the powers conferred under Section 125, 126, 127, 128 read with Sections 202 and 214 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, I, Khem Chand Verma, Executive Officer, Municipal Council Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh, hereby officially notify and implement the following (Registration & Control of Dogs), Pet Bye-Laws 2025: —

**MUNICIPAL COUNCIL GHUMARWIN,
(Registration & Control of Dogs), Pet Bye-Laws 2025**

These bye-laws apply to **all dog owners** within the official municipal limits.

1. Short title and commencement:—

- (i) These new “bye-laws” will be known as the **Municipal Council Ghumarwin, (Registration & Control of Dogs), Pet Bye-Laws of 2025**, specifically covering the registration and control of dogs.

(ii) These Bye-laws shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette (Rajpatra).

(iii) These bye-laws **apply to everyone** who owns a dog within the official municipal limits.

2. Definitions.—In these Bye-Laws, unless the context otherwise requires,—

- (i) **Dog:** Refers only to **Pet Dogs**, not stray dogs
- (ii) **Owner:** The person who owns the dog, or any other person who has the dog in their possession or custody whether with or without the consent of the owner.
- (iii) **Authorized Officer:** The Sr. Executive Officer/Executive Officer/ Secretary or any others officer specially authorized by the Sr. Executive Officer/Executive Officer/ Secretary as the case may be.
- (iv) **License:** Written permission granted by the Executive Officer/Secretary or Authorized officer.
- (v) **Act:** The Himachal Pradesh Municipal Council Act, 1994
- (vi) **Section:** A section of the Act
- (vii) **Dog Pound:** the place

3. Procedure for Registration of Dogs:

All pet dog owners within MC Ghumarwin limits must follow these steps:

Requirement	Details
Registration Deadline	Must register the dog by April 1st every year, or within seven days of the dog's arrival in the municipal limits.
Registration Fee	₹500 (Five Hundred Rupees) as a one-time registration fee.
Annual Renewal Fee	- Before the expiry of the registration certificate may be renewed for further period of one year on payment of renewal fee of Rs.50/- (Fifty Rupees). - If the applicant fails to apply for renewal before the expiry of one years, a late fee of Rs. 200 (Two Hundred) per month shall be charged in addition to the renewal fee. - If the original registration certification is lost, a duplicate registration certificate shall be issued on payment of Rs.100 (One hundred).
Vaccination	The dog must be vaccinated before registration
How to Register	Apply online through the Citizen Seva Portal or use a registration form provided at the Municipal Council office.
Proof of Registration	Upon successful registration (with a valid vaccination card from a Veterinary Doctor), the owner will receive a registration card/license or a metal ticket/badge.
Registration Period	Registration is valid for 12 months, from April 1st to March 31st of the next year Renewal is mandatory in April.

Metal Ticket Cost	The owner must bear the cost of the metal ticket/badge
Exemption	This levy does not apply to dogs brought for show purposes that stay within Council limits for no more than a week.

4. Breeding and Dog Limit:

- (i) **Dog Limit:** A maximum of **two dogs** can be kept and registered per household. Registration for more than two dogs is **prohibited**.
- (ii) **Breeding:** Owners must **not breed** any dog species that have been **banned** by the State or Central Government or the District Administration.
- (iii) **Death or Relocation:** The owner must **inform the Authorized Officer in writing** about the dog's death or change of location. Failure to do so will result in the dog being presumed alive and action being taken accordingly.

5. Owner Duties and Public Nuisance Control:

Dog owners must ensure their pet does not become a nuisance to the public in any way.

Duty/Responsibility	Details
Restraint in Public	When taken outside the house, the dog must wear a mouth collar (muzzle) and be secured with a metal chain. The metal ticket/badge must be firmly attached.
Dog Excreta	The owner must clean up their dog's waste if it defecates on a municipal road, street or drain.
Cleaning Procedure	Owners are required to carry disposable bags and dispose of the excreta in the same way as human waste. Failure to clean up will result in a fine.
Wandering	Owners must ensure their dog does not wander alone outside the house, bite anyone or spread filth.
Welfare	The owner must ensure that no cruelty of any kind is done to the dog.
Dog Pound	Establishing a private dog pound for business within municipal limits is prohibited without prior Council permission.

6. Guideline for breeders:—

All dog breeders must be **registered with the Municipal Council Ghumarwin**:

- **Registration Fee for Breeders:** ₹500 (One-time) **plus** ₹50 (Annual renewal fee) **per dog**. *Note: This is an additional fee to the regular pet registration fee in Section 2.*
- **Record Keeping:** Breeders must maintain full records of:—
 - The number of pups born and died from each mother dog
 - Proper pedigree and vaccination records
 - The details of the person buying the pups

- **Buyer Knowledge:** Breeders must ensure the buyer has the necessary knowledge to properly care for the pups.

7. Penalties for Violations:—

Any person who violates these bye-laws, including failing to register a dog, will be punished with a fine:

- **Minimum Fine:** ₹500 (Five Hundred Rupees).
- **Maximum Fine:** Up to ₹1,000 (One Thousand Rupees).
- **Continuous Violation:** If the violation continues, an **additional fine of up to ₹50 per day** will be charged until the bye-law is followed.

8. Liability and Action in Case of Dog Bite:—

Notwithstanding the general duties in Clause 5, if any registered or unregistered dog bites a person within the Municipal Council limits, the Owner shall be held liable as follows:

A. For Dogs Having a Valid Pet Registration Certificate

If the dog possesses a current and valid registration certificate and metal tag/badge issued by the Municipal Council Ghumarwin:

Clause	Action / Responsibility
8.A. (i) Penalty	The Owner shall be liable for an immediate fine of ₹2,500/- (Two Thousand Five Hundred Rupees) , which shall be imposed under Section 202 read with Section 214 of the Act.
8.A. (ii) Treatment	The Owner shall be responsible for covering all medical and treatment expenses of the bitten patient, including but not limited to, the cost of Anti-Rabies Vaccine (ARV) and any necessary hospitalization or further medical procedures.
8.A. (iii) Dog Seizure & Quarantine	The dog shall be immediately seized and kept in mandatory quarantine for a period of 10 days at a place specified by the Authorized Officer or a registered veterinary facility to monitor for signs of Rabies. The cost of quarantine shall be borne by the Owner.
8.A. (iv) License Review	The Authorized Officer reserves the right to suspend or cancel the registration/license of the dog following the incident and after reviewing the circumstances and the dog's history.

B. For Dogs Having No Valid Pet Registration Certificate

If the dog does not possess a current and valid registration certificate issued by the Municipal Council Ghumarwin, or if the registration has expired:

Clause	Action / Responsibility
8.B. (i) Penalty	The Owner shall be liable for an immediate fine of ₹5,000/- (Five Thousand Rupees) for the bite incident, in addition to the late registration fee penalty specified in Clause 3.
8.B. (ii) Treatment	The Owner shall be responsible for covering all medical and treatment expenses of the bitten patient, including but not limited to, the cost of Anti-

	Rabies Vaccine (ARV) and any necessary hospitalization or further medical procedures.
8.B. (iii) Dog Seizure & Punishment	The dog shall be seized immediately . The Owner shall be punishable under the relevant Sections of the Act for operating in violation of the mandatory registration rule (Clause 3). The Authorized Officer may order the permanent confiscation or removal of the dog from the Municipal limits.
8.B. (iv) Legal Action	The Owner shall also be liable for additional legal action as per the provisions of the Indian Penal Code (IPC) and other relevant Central/State laws concerning negligence and public safety.

By order,

*Executive Officer,
Municipal Council Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).*

**OFFICE OF EXECUTIVE OFFICER MUNICIPAL COUNCIL, GHUMARWIN,
DISTRICT BILASPUR (H.P.)**

NOTIFICATION

Ghumarwin, the 12th December, 2025

No. MCG/Tobacco License/2025.—In exercise of the powers conferred under Section 125, 126, 127, 128 read with Sections 202 and 214 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, I, Khem Chand Verma, Executive Officer, Municipal Council Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh hereby notify the “**Municipal Council Ghumarwin Tobacco Control and Regulation Bye-Laws, 2025**”. These Bye-Laws were approved in the General House meeting held on 8th December, 2025.

The Municipal Council (MC) of Ghumarwin formally adopts and shall strictly enforce these Bye-Laws in accordance with “**The Himachal Pradesh Prohibition of Sale of Loose Cigarettes and Beedies and Regulation of Retail Business of Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2016**,” and is strictly implementing these Bye-Laws to regulate the retail business of tobacco products within the Municipal limits of Ghumarwin.

1. Short Title, Commencement and Application:—

- 1.1. Short Title:** These Bye-laws may be called the “**Municipal Council Ghumarwin Tobacco Control and Regulation Bye-Laws, 2025**”.
- 1.2. Commencement:** These Bye-laws shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette (Rajpatra).
- 1.3. Application:** These Bye-Laws shall extend to the whole Municipal Area of Ghumarwin.

2. Adoption of State Act and Definitions:—

- 2.1. Principle:** The provisions of “**The Himachal Pradesh Prohibition of Sale of Loose Cigarettes and Beedies and Regulation of Retail Business of Cigarettes**”

and Other Tobacco Products Act, 2016" (Act No. 17 of 2016), including all definitions, prohibitions, and penalties, are hereby adopted and shall be enforced with the same rigor within the jurisdiction of the Municipal Council Ghumarwin.

2.2 Definition of Permanent Shop/Retail Outlet:

"Permanent Shop/Retail Outlet" shall mean a premises or structure used for the sale of tobacco products that is **fixed to the ground with permanent foundations or a permanent floor structure**, constructed of materials (such as brick, mortar, concrete or equivalent engineered materials), and duly registered for property tax by the Municipal Council.

Exclusion: This definition specifically excludes all forms of **temporary, mobile or movable vending units**, including, but not limited to, rehadis, vending carts, temporary stalls, or any other non-permanent structures, irrespective of their size.

3. Prohibition of Sale of Loose Tobacco Products:—

3.1. Complete Ban: No person shall sell, offer for sale, or permit the sale of **loose cigarettes or loose beedies** (single sticks or less than the statutory minimum pack quantity) at any retail outlet, shop, temporary stall, or mobile vending unit within the Municipal limits of Ghumarwin.

3.2. Mandatory Packaging: All sales of cigarettes, beedies and other notified tobacco products must strictly adhere to the mandatory packaging requirements as prescribed under the Central and State laws, including pictorial health warnings.

4. Regulation of Retail Business (Registration and Location):—

The registration process is mandatory for **all persons** who are carrying on or intend to carry on the retail business of Cigarettes, Beedies and other Tobacco Products within the Municipal Council (MC) limits of Ghumarwin.

4.1 Designated Registering Authority

The Registering Authority for granting the certificate is an authority designated by the State Government, which, in the case of Municipal areas, is the **Executive Officer (EO)/Senior Executive Officer (SEO)/Secretary** or a designated officer of the Municipal Council Ghumarwin.

4.2 Application Submission

- **Application Form:** The applicant must obtain and fill out the prescribed **Form-1 (Annexure-“A”)** as per the Himachal Pradesh Prohibition of Sale of Loose Cigarettes and Beedies and Regulation of Retail Business of Cigarettes and Other Tobacco Products Rules, 2018. This form is available at the Municipal Council office.
- **Fees:** The application must be submitted alongwith the requisite **registration fee**.
 - **New Registration Fee: ₹500** (Rupees Five Hundred only).

4.3. Required Documents

The applicant must typically submit the following documents along with Form-1:

- **Proof of Business Premises:** Rent agreement, property tax receipt, or ownership documents for the shop.
- **Identity and Address Proof:** Aadhaar Card, Voter ID, or other prescribed documents of the applicant.
- **Mandatory Business Registration:** A certified copy of the **Trade License issued by the Municipal Council Ghumarwin** is mandatory for submission with both the new registration and renewal application forms.

"Failure to submit a valid Municipal Trade License will result in the application being summarily rejected by the Registering Authority."

- **Declaration:** A formal undertaking/declaration to strictly comply with the provisions of the State Act (2016) and all local Bye-laws, including the ban on loose sale and sales near educational institutions.
- **Photographs:** Passport-sized photographs of the applicant.

4.4 Verification and Site Inspection

- **Scrutiny:** The Registering Authority (MC Ghumarwin office) will scrutinize the application and submitted documents.
- **Site Inspection:** An officer authorized by the Secretary/EO/SEO (e.g., Sanitary Inspector or Junior Engineer or Enforcement Officer) will conduct a physical inspection of the proposed premises to ensure compliance with the mandatory requirements.

A written report from the Sanitary Inspector or Junior Engineer or Enforcement Officer, or any authorized officer, confirming compliance with all location restrictions, is mandatory before approval.

- **Mandatory Location Restriction:** The shop must **NOT** be located within **100 yards (91.44 meters) radially** of the outer limit of the boundary wall of **any educational institution** (including Schools, Colleges, Universities, Anganwadicenters, Coaching centres, Tuition Centres, Computer Centres, or any institution where educational activities are conducted).

4.5 Grant of Registration Certificate

- **Issuance:** If the application is complete and the premises pass the inspection, the Registering Authority will grant the **Registration Certificate in Form-3 (Annexure-“C”)**.
- **Validity:** The Registration Certificate is granted for a period of **three years**.

- **Deemed Registration:** If the Registering Authority **fails to grant the certificate within six months** of the receipt of the application, the applicant will be deemed to be registered.

4.6 Renewal Process

- **Application:** Before the expiry of the three-year period, the vendor must apply for the renewal of the certificate.
- **Renewal Fee:** The current prescribed renewal fee is **₹300 (Rupees Three Hundred only)**.
- **Validity:** Renewal is granted for a further period of three years.
- **Penalties:** If the applicant fails to apply for renewal before the expiry of three years, a **late fee of ₹200 (Rupees Two Hundred only) per month** shall be charged in addition to the renewal fee.
- **Duplicate:** If the original registration certificate is lost, a duplicate registration certificate shall be issued on payment of **₹100 (Rupees One Hundred only)**.

4.7 Prohibition on Non-Permanent Structures:

- The Tobacco Vendor Registration Certificate/License shall be issued **ONLY** to applicants operating from a "**Permanent Shop/Retail Outlet**" as defined in Section 2.2.
- The Certificate shall **NOT** be issued or renewed for any form of **temporary, mobile, or movable vending units** (rehadis, vending carts, temporary stalls, or any other non-permanent structures).

4.8. Prohibition of Banned Products and Non-Eligibility for License

- **Non-Eligible Products:** The Registration Certificate/License shall **not** be issued or renewed to any vendor, and any existing certificate shall be subject to immediate cancellation, if the vendor is found to be engaged in the sale, storage, distribution, or handling of:
 - **Banned Smokeless Tobacco Products:** Gutkha, Khaini, Zarda, Pan Masala containing tobacco, or any other flavored, scented, or processed tobacco products that are currently banned under the **Food Safety and Standards Act, 2006 (FSSA)** and its Regulations in the State of Himachal Pradesh.
 - **Banned Smoking Devices:** Electronic Cigarettes (e-Cigarettes), Heated Tobacco Products, Hookah (except in licensed Hookah Bars as per State Rules, which are not permitted under this retail license), and any similar devices prohibited by law.

- **Concurrent Action:** The sale of the above-mentioned banned products shall constitute a violation of these Bye-laws and:
 - For banned smokeless tobacco, **prosecution shall be initiated** against the vendor concurrently under the relevant provisions of the **FSSAI Act, 2006**.
 - For electronic cigarettes and similar devices, **prosecution shall be initiated** under the **Prohibition of Electronic Cigarettes Act (PECA), 2019**, and the seized items shall be immediately confiscated.
- **Permanent Disqualification:** Any vendor whose license is cancelled under this clause shall be permanently disqualified from obtaining a Municipal Council Ghumarwin Tobacco Control and Regulation License.

4.9. Mandatory Operational and Display Conditions for Tobacco Vendors:—

The issuance or renewal of the Registration Certificate/License is strictly conditional upon the vendor's continuous compliance with the following points, failing which the application shall be rejected or the license is cancelled:

- **Ancillary Products Ban:** The tobacco vendor shall **not** provide or make available a **matchbox, lighter or ashtray** facility to clients inside the shop premises. Licenses shall not be issued to vendors violating this.
- **Mandatory Warning Signage [Section 6(a), COTPA]:** The license cannot be issued unless the mandatory warning signboard (prohibiting sale to minors) is **prominently displayed**. Selling without this display is a violation of Section 6(a) of COTPA, punishable with a fine up to ₹200.
-
- **Sale and Display to Minors:**
 - No tobacco product shall be **handled or sold** by a person **below the age of 18 (eighteen) years**.
 - Tobacco products shall **not be displayed in a manner that enables easy access or direct visibility** to persons below the age of eighteen years.
- **Advertisement Prohibition (Section 5, COTPA):** The **Advertisement of Tobacco products at the shop is strictly not allowed**. This includes placing advertisement posters, dangles, backlit displays, or sunboards at the shop, which constitutes a violation of Section 5 of COTPA.
- **Permitted Display Rules for Vendors:** Vendors may display **only one plain information board (optional)**, subject to the following limits:
 - **Maximum Size:** 60 cm × 45 cm.
 - **Health Warning:** Must include a health warning—“**Tobacco causes cancer**” or “**Tobacco kills**”—in an Indian language, measuring **20 cm × 15 cm**.
 - **Formatting:** Warning must be clear, legible, and in **black text on a white background**.
 - **Content Limit:** The board may display **only the types of tobacco products available**. **No brand names, pictures,**

promotional messages, lighting, or backlit displays are allowed.

○
• **Pictorial Health Warnings (PHW) Compliance (Section 7, COTPA):**

- Tobacco vendors can sell **only those tobacco products which carry the specified Pictorial Health Warnings.**
- If a tobacco pack **does not display the specified PHW**, or if a vendor is found selling **smuggled, imported, or illegal tobacco products** without the specified PHW, it constitutes a **violation of Section 7 of COTPA.**
- In cases of PHW violation, the license shall not be issued or renewed, and the vendor will be subject to **prosecution under the law.**

5. Enforcement and Penalties (Local Fines):—

5.1. Enforcement Authority: The Senior Executive Officer (SEO)/Executive Officer (EO)/ Secretary of the Municipal Council, alongwith any officer authorized by them (not below the rank of **Sanitary Inspector/ Sanitary Supervisor/ Junior Engineer (JE)/ Enforcement Officer**), shall be the designated Enforcement Authority under these Bye-Laws, in addition to the officers authorized under the State Act.

5.2. Local Penalties for Loose Sale (Compounding of Offences)

- Any person found selling loose cigarettes or beedies in contravention of these Bye-Laws shall be liable to a spot fine/compounding fee by the Enforcement Authority, as follows:
 - **First Offence:** ₹1,000 (Rupees One Thousand only)
 - **Second Offence:** ₹2,000 (Rupees Two Thousand only)
 - **Subsequent Offences:** ₹5,000 (Rupees Five Thousand only) **and** recommendation for the cancellation/suspension of the business license/registration by the competent authority.

5.3. Penalties for Operating without Registration.—Any person carrying on retail business of tobacco products without the mandatory registration shall be liable to a fine as prescribed in the State Act.

6. Public Awareness and Display:

6.1. Display of Prohibition: Every vendor licensed/registered to sell tobacco products shall prominently display a board/notice stating the following:

- **"SALE OF LOOSE CIGARETTES AND BEEDIES IS STRICTLY PROHIBITED (अकेली सिगरेट/बीड़ी बेचना सख्त मना है)"**
- **"SALE OF TOBACCO PRODUCTS TO PERSONS UNDER 18 YEARS OF AGE IS A PUNISHABLE OFFENCE (तंबाकू उत्पादों की बिक्री 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को दंडनीय अपराध है)"**

By order,

Executive Officer
Municipal Council Ghumarwin
District Bilaspur H.P.

Annexure-"A"**Form-1****{see rule 3(1)}****Application Form For Registration / Renewal of Registration of any tobacco products**

1. Name of the Establishment _____
2. Address:

Village/Town/City:	Block:	District
State:	Pin Code	Telephone No. (with STD code)
Mobile:	Email ID	
3. Name of the Owner _____
4. Address:

Village/Town/City:	Block:	District
State:	Pin Code	Telephone No. (with STD code)
Mobile:	Email ID	
5. Application submitted for New Registration Renewal of Registration If, renewal, please specify earlier registration number/year.
6. Payment options for Registration fees Demand draft Postal order Cash Any other (please specify)

Amount (in Rs.)	_____
Details	_____
Receipt number	_____

I do hereby declare that the statements made above are correct and true to the best of my knowledge, I shall abide by all the provisions of the Himachal Pradesh Prohibition of Sales of Loose Cigarettes and Biddies and Regulation of Retail Business of Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2016 and the rules made there under.

I shall also abide by all the provisions of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply, and Distribution) Act, 2003.

I shall intimate to the Registering Authority any change, if required, in particulars as given above.

Signature of the owner/Person-in-charge**Name-****Place:****Date:**

Phone number in case of grievances

तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु शपथपत्र

मैं, _____ सपुत्र / सपुत्री _____ स्थायी पता _____ दुकान /
प्रतिष्ठान का पूरा पता _____ यह सत्यापित एवं सत्यनिष्ठा से घोषणा
करता/करती हूँ कि:-

1. मैंने हिमाचल प्रदेश खुली सिगरेट एवं बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध तथा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यवसाय का विनियमन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत तंबाकू विक्रेता लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है।
2. मैं सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन एवं व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 2003 (COTPA) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों का पूर्ण पालन करने के लिए बाध्य रहूँगा/रहूँगी।
3. मैं अपनी दुकान में बिना वैध लाइसेंस के कोई भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेचूँगा/बेचूँगी।
4. मैं खुली सिगरेट, खुली बीड़ी या खुला तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं करूँगा/करूँगी।
5. मैं 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करूँगा/करूँगी तथा मेरी दुकान में 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद किसी ग्राहक को नहीं बेच सकता है।
6. मैं अपनी दुकान पर COTPA, 2003 के अंतर्गत मानक साइनबोर्ड “18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध है” को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करूँगा/करूँगी।
7. मैं किसी सरकारी / गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान से 100 गज की परिधि के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करूँगा/करूँगी।
8. मैं यह सुनिश्चित करूँगा/करूँगी कि मेरी दुकान के अंदर या उसके आस-पास तंबाकू उत्पादों का कोई भी विज्ञापन, प्रचार या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
9. मैं बिना निर्धारित चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी वाले किसी भी तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं करूँगा/करूँगी।
10. मेरी दुकान एक स्थायी खुदरा प्रतिष्ठान है, जो अधिकृत तंबाकू उत्पादों की बिक्री हेतु है। यहाँ गुटखा, खैनी, तंबाकू मिश्रित पान मसाला, प्रसंस्कृत तंबाकू, ई-सिगरेट आदि जैसे प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री नहीं की जाती है।
11. मैं सदैव सरकार द्वारा समय-समय पर जारी तंबाकू नियंत्रण से संबंधित नियमों एवं विनियमों का पालन करूँगा / करूँगी।
12. मैं अपने प्रतिष्ठान के अंदर एवं आसपास स्वच्छता बनाए रखने तथा तंबाकू कचरे को रोकने का दायित्व निभाऊँगा/करूँगी।
13. मैं अपनी दुकान पर “तंबाकू विक्रेता लाइसेंस” प्रमुख रूप से प्रदर्शित करूँगा/करूँगी।
14. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे लाइसेंस लेने के लिए आवेदन में दी गई सभी सूचनाएँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।
15. मुझे ज्ञात है कि यदि मेरे द्वारा उपर्युक्त अधिनियमों अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी आदेश का उल्लंघन किया गया, तो मेरा लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

गवाहों का नाम एवं हस्ताक्षर
(पूर्ण पते सहित)

1 -----

2 -----

आवेदक के हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

दिनांक: _____

स्थान: _____

Annexure-“B”**Form-2****{see rule 3(2)}****Acknowledgement for New Registration / Renewal of Registration of any tobacco products**

The application in Form-1 for grant of new registration/renewal of registration under Himachal Pradesh Prohibition of Sales of Loose Cigarettes and Biddies and Regulation of Retail Business of Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2016 submitted by _____ (Name and Address of the owner) has been received by the Registration Authority on _____ (Date/Month/Year) and found to be complete or incomplete.

This acknowledgment does not confer any rights on the applicant for grant or renewal of registration.

Signature of Registration Authority or authorized persons in the office of the Appropriate Authority.

Name & Designation of the Issuing Authority**SEAL****Place:****Date:****लोक निर्माण विभाग****अधिसूचना****शिमला-02, 11 फरवरी, 2026**

संख्या:पी0डब्ल्यू0डी0-बी-एफ0 / (5) / 1 / 2024-215075.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई की रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए इस विभाग की अधिसूचना तारीख 09-01-2025 द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 के नियम 12 के साथ पठित भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 8 की उप-धारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य जिला मार्ग-66 कार्ट रोड़ टुटीकंडी से संजौली वाया छोटा शिमला और मुख्य जिला मार्ग-67

विकट्री टनल से ढली चौक वाया लक्कड़ बाजार सड़क के विभिन्न संकीर्ण/मार्गावरोध स्थानों को चौड़ा/सुधार करने के लिए तथा तिब्बतीयन स्कूल, छोटा शिमला के समीप पैदल पथ मार्ग के सन्निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का लोकहित में अर्जित करने की सिफारिश करते हैं।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:

क्रम संख्या	गांव महाल/उप-महाल का नाम	खसरा नं०	क्षेत्र वर्ग मीटर/डेसी मीटर
क. मुख्य जिला मार्ग-66 तथा 67 का विस्तारीकरण/सुधारीकरण:			
1.	चौड़ा मैदान	1005/892/1, 895/1, 896, 897, 898, 899, 900, 902/1, 947/912/1, 930/1, 1013/931/1, 1011/931/1, 935, 936, 937 (किता-15)	2133-62
2.	कृष्णानगर	28/1, 211/1, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217/1(Bandobasti), 221, 222, 223, 224, 225/1, 226/1, 228/1, 235/1, 236, 237/1, 238/1, 239, 240, 241, 242/1, 244/1, 1846/246/1, 247, 295/1, 296, 297, 1120, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130/1, 1131/1, 1154/1, 1155, 1156, 1156/1(बन्दोबस्ती), 1157, 1158/1, 1159/1, 1160/1, 1161/1, 1162/1, 1407/1, 1408/1, 1409/1, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1843/1418, 1844/1418, 1845/1418, 1419, 1848/1420, 1849/1420, 1852/1420/1, 1853/1420/1, 1850/1421, 1851/1421, 1422, 1423, 1424/1, 1425, 1447/1, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1467/1, 1487, 1491, 1702/1 (किता-94)	3368-70
3.	बाजार वार्ड छोटा शिमला	1, 2, 3, 4, 5 (किता-5)	117-04
4.	बेमलोई	599/1, 602/1, 608/1 (किता-3)	455-58
5.	छोटा शिमला खास	166/1, 168/1, 169/1, 167, 1157/1, 1158/1, 1167/1, 1176/1, 1276/1208/1 (किता-9)	303-11
6.	अप्पर कैथू	940, 944/1, 965, 966, 967, 939/1, 943/1, 964/1, 973/1, 1009/1, 1010/1, 1011/1, 1012/1, 1033/1, 1034, 1035, 1036, 1037/1, 1037/2, 1038/1, 1039/1, 1040/1, 1057/1, 1064/1, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071/1, 1073/1, 1076/1, 1077/1, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082/1, 1083/1, 1122, 1123, 1124, 1126, 1128, 1128/1(बन्दोबस्ती), 1129/1 (किता-47)	2585-25
7.	ताराहॉल	180/1, 183, 184/1, 753/205/1, 754/205/1, 206, 207, 208, 209, 375/1, 377/1, 378, 379, 380, 401/1, 409/1, 522/1, 529/1, 531, 532, 533, 533/1/1, 534/1, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543/1, 544, 545, 546, 547/1, 594/1, 595, 596, 597, 598, 599, 600/1, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622/1, 623, 624, 625/1, 626, 627/1, 629, 630, 631, 632,	4775-91

		634, 635, 637/1, 638, 639, 640, 641/1, 644/1, 645, 646/1, 653/1, 654/1 (कित्ता-76)	
8.	कालीबाड़ी	353/1, 355/1, 356, 357, 358/1, 358/1 (बन्दोबस्ती), 360/1, 362, 363, 366/1, 368, 369, 370, 371/1, 560/1, 1169/562/1 (कित्ता-16)	2446-52
9.	बाजार वार्ड लक्कड़ बाजार	50/1, 51/1, 52, 53/1, 54/1, 55, 56, 57, 58, 59, 60/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 72, 73, 74/1, 74/2, 75/1, 76/1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88/1 (कित्ता-31)	1266-56
10.	शांकली	785/1, 786/1, 836, 837, 838/1, 839, 840/1, 888/1, 889/1, 890/1, 990/1, 1014, 1015/1, 1020/1, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025/1, 1026/1, 1029/1, 1062/1, 1063/1, 1182/1 (कित्ता-24)	1720-07
11.	संजौली चौक	365/1, 367/1, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 381/1, 840/1, 843/1, 845/1, 846/1, 847/1, 848, 849, 850, 851/1, 1891 (कित्ता-23)	495-07
12.	यू.एस. क्लब	101/1, 102, 105, 106, 108/1, 108/2, 109, 110, 111, 112, 125 (कित्ता-11)	828-09
ख. तिब्बतीयन स्कूल के समीप पैदल पथ मार्ग का सन्निर्माण			
छोटा शिमला खास		670/1, 671/1 (कित्ता-2)	12-60
कुल खसरा नं०/कित्ता		356	
कुल क्षेत्र			20508-12 वर्ग/डेसी मी० (02-05-08 हैक्टर)

आदेश द्वारा,
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

[Authoritative English Text of this department Notification number PWD-B-F0(5)/1/2024-215075 dated 11-02-2026 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 11 February, 2026

No. PWD-B-F0(5)/1/2024-215075.—On the recommendation of the Expert Group constituted by this department's letter dated 09-01-2025 to evaluate the report of Social Impact assessment Unit and further in exercise of the powers under Sub-Section (2) of Section 8 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, read with Rule 12 of the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact assessment and Consent) Rules, 2015, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to recommend Public Works Department to acquire the land acquisition for widening/improvement of various narrow/bottleneck points of MDR 66-Cart Road from Tutikandi to Sanjauli via Chotta Shimla and MDR 67-Victory

Tunnel to Dhalli Chowk *via* Lakkar Bazar Road and for construction of pedestrian path near Tibetan School, Chotta Shimla-Khas in public interest.

The detail of proposed land to be acquired are as under:—

Sl. No	Name of Village/ Mohal/Up-Mohal	Khasra Nos.	Area in Sq. mtr./Deci mtr.
A. Widening/improvement of MDR-66 & 67:			
1.	Chaura Maidan	1005/892/1, 895/1, 896, 897, 898, 899, 900, 902/1, 947/912/1, 930/1, 1013/931/1, 1011/931/1, 935, 936, 937 (Kitta-15)	2133-62
2.	Krishnanagar	28/1, 211/1, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217/1(Bandobasti), 221, 222, 223, 224, 225/1, 226/1, 228/1, 235/1, 236, 237/1, 238/1, 239, 240, 241, 242/1, 244/1, 1846/246/1, 247, 295/1, 296, 297, 1120, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130/1, 1131/1, 1154/1, 1155, 1156, 1156/1(Bandobasti), 1157, 1158/1, 1159/1, 1160/1, 1161/1, 1162/1, 1407/1, 1408/1, 1409/1, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1843/1418, 1844/1418, 1845/1418, 1419, 1848/1420, 1849/1420, 1852/1420/1, 1853/1420/1, 1850/1421, 1851/1421, 1422, 1423, 1424/1, 1425, 1447/1, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1467/1, 1487, 1491, 1702/1(Kitta-94)	3368-70
3.	Bazar Ward Chhota Shimla	1,2,3,4,5 (Kitta-05)	117-04
4.	Bemloie	599/1, 602/1, 608/1 (Kitta-3)	455-58
5.	Chhota Shimla Khas	166/1, 168/1, 169/1, 167, 1157/1, 1158/1, 1167/1, 1176/1, 1276/1208/1 (Kitta-9)	303-11
6.	Upper Kaithu	940, 944/1, 965, 966, 967, 939/1, 943/1, 964/1, 973/1, 1009/1, 1010/1, 1011/1, 1012/1, 1033/1, 1034, 1035, 1036, 1037/1, 1037/2, 1038/1, 1039/1, 1040/1, 1057/1, 1064/1, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071/1, 1073/1, 1076/1, 1077/1, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082/1, 1083/1, 1122, 1123, 1124, 1126, 1128, 1128/1(Bandobasti), 1129/1 (Kitta-47)	2585-25
7.	Tara Hall	180/1, 183, 184/1, 753/205/1, 754/205/1, 206, 207, 208, 209, 375/1, 377/1, 378, 379, 380, 401/1, 409/1, 522/1, 529/1, 531, 532, 533, 533/1/1, 534/1, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543/1, 544, 545, 546, 547/1, 594/1, 595, 596, 597, 598, 599, 600/1, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619,	4775-91

		620, 622/1, 623, 624, 625/1, 626, 627/1, 629, 630, 631, 632, 634, 635, 637/1, 638, 639, 640, 641/1, 644/1, 645, 646/1, 653/1, 654/1(Kitta-76)	
8.	Kalibari	353/1, 355/1, 356, 357, 358/1, 358/1 (Bandobasti), 360/1, 362, 363, 366/1, 368, 369, 370, 371/1, 560/1, 1169/562/1(Kitta-16)	2446-52
9.	Bazar Ward Lakkar Bazar	50/1, 51/1, 52, 53/1, 54/1, 55, 56, 57, 58, 59, 60/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 72, 73, 74/1, 74/2, 75/1, 76/1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88/1(Kitta-31)	1266-56
10.	Shankli	785/1, 786/1, 836, 837, 838/1, 839, 840/1, 888/1, 889/1, 890/1, 990/1, 1014, 1015/1, 1020/1, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025/1, 1026/1, 1029/1, 1062/1, 1063/1, 1182/1 (Kitta-24)	1720-07
11.	Sanjauli Chowk	365/1, 367/1, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 381/1, 840/1, 843/1, 845/1, 846/1, 847/1, 848, 849, 850, 851/1, 1891 (Kitta-23)	495-07
12.	Mohal US Club	101/1, 102, 105, 106, 108/1, 108/2, 109, 110, 111, 112, 125(Kitta-11)	828-09
B. Construction of pedestrian path near Tibetan School:			----
	Chhota Shimla Khas	670/1, 671/1 (Kitta-2)	12-60
Total Khasra Nos./(Kitta)		356	----
Total Area		-----	20508-12 Sq./Deci mtr. (02-05-08 Hect.)

By order,
Principal Secretary (PWD).

In the Court of Executive Magistrate, Sadar, District Bilaspur (H.P.)

Smt. Narvada w/o Late Sh. Balak Ram, r/o Village Tarer P.O. Chandpur, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.)

Applicants.

Versus

General Public

On the subject cited above, it is to submitted that Smt. Narvada w/o Late Sh. Balak Ram, r/o Village Tarer P.O. Chandpur, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) has submitted an application before the undersigned for the correction of her name and date of birth in Aadhar record. She further submitted that her correct name is Narvada (नर्वदा) and date of birth is 10-05-1966, but by mistake in

Aadhar record her name is entered as Narmda Devi and date of birth is entered as 01-01-1966, She supported above fact by producing Birth Certificate No. 123 and parivar Nakal No. 95844100.

Therefore, through this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for correction of name and date of birth mentioned above may submit his objections in writing within (30) thirty days from the date of publication of this notice in official gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of this 27th day of 01st January, 2026.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,
Sadar, District Bilaspur (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
82 / R/NT / 2023	निशानदेही	05-06-2023	20-02-2026

सुरेश कुमार

बनाम

धर्म सिंह आदि

वाक्या मोहाल कंगरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

उपरोक्त वर्णित मुकद्दमा किस्म तकसीम हुकमन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण सर्व श्री 1. धर्म सिंह पुत्र ख्याली राम, 2. शकुन्तला देवी पत्नी केहर सिंह, वासीगण मोहाल कंगरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) हैं।

उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। इसलिए उन्हें बजरिया अखबार इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 20-02-2026 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आवे। अन्यथा आपके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
80644/2025	नाम दुरुस्ती	30-10-2025	20-02-2026

श्री नरपिन्दर चन्द कटोच पुत्र श्री कर्म चन्द, वासी महाल रंगड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती under section 37 (1) 1954 श्री नरपिन्दर चन्द कटोच पुत्र श्री कर्म चन्द, वासी मोहाल रंगड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती श्री नरपिन्दर चन्द कटोच पुत्र श्री कर्म चन्द, वासी महाल रंगड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम मोहाल पखी के राजस्व अभिलेख में नरपिन्दर चन्द पुत्र कर्म चन्द दर्ज है, जबकि उसका नाम नरपिन्दर चन्द कटोच पुत्र कर्म चन्द, वासी मोहाल रंगड़ है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके नरपिन्दर चन्द कटोच पुत्र कर्म चन्द किया जाए।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 20-02-2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में अदालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थी नरपिन्दर चन्द कटोच का नाम मोहाल पखी के राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 05-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
08/NT/2026	जन्म तिथि पंजीकरण	11-02-2026	28-02-2026

श्रीमती तारु देवी पुत्री चुहड़ू, वासी मोहाल बाहड़ू, डाकघर बीड बगेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 श्रीमती तारु देवी पुत्री चुहड़ू, वासी मोहाल बाहड़ू, डाकघर बीड बगेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना—पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती तारु देवी पुत्री चुहड़ू, वासी मोहाल बाहड़ू, डाकघर बीड बगेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 15-03-1952 को ग्राम पंचायत बैरी में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत बैरी में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत बैरी में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 28-02-2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 11-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Smt. Bandna Devi d/o Nandu Ram, r/o Village Keherwin, P.O. Baloh, Tehsil Bhoranj,
Distt. Hamirpur (H.P.) .. Applicant.

Versus

General Public

. .Respondent.

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003. Whereas, Smt. Bandna Devi d/o Nandu Ram, r/o Village Keherwin, P.O. Baloh, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith Affidavits and other relevant documents for entering Date of Birth 04-08-1972 could not be registered in record of G.P. Keherwin. Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection (s) for the registration of delayed Date of Birth Smt. Bandna Devi d/o Nandu Ram, of may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 28-02-2026 at 10:00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Smt. Anjana Kumari d/o Amar Nath, r/o Village Dhar, P.O. Dhamrol, Tehsil Bhoranj,
Distt. Hamirpur (H.P.) .. *Applicant.*

Versus

General Public

. . *Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003. Whereas Smt. Anjana Kumari d/o Amar Nath, r/o Village Dhar, P.O. Dhamrol, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith Affidavits and other relevant documents for entering Date of Birth 10-12-1971 could not be registered in record of G.P. Dhard. Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection (s) for the registration of delayed Date of Birth Smt. Anjana Kumari d/o Amar Nath, of submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 28-02-2026 at 10:00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी नायब तहसीलदार धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्त करने बारे।

स्वरूप कुमार

बनाम

आम जनता

मुश्त्री/मुनादी

स्वरूप कुमार पुत्र स्व0 मेघ राज, निवासी गांव व डाकघर नागनपट्ट, तहसील व जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने अपने नाम को दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम स्वरूप कुमार पुत्र स्व0 मेघ राज जय है। यदि किसी को प्रार्थी का नाम स्वरूप कुमार उर्फ स्वरूप चन्द पुत्र स्व0 मेघ राज, महाल नागनपट्ट व बडी खास व घरथेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा को दुरुस्त करने बारे एतराज हो तो उनवान मुकद्दमा उनवान वाला अदालत हजा में जेरे गौर है। लिहाजा फ्रिकैन दोयम को बजरिया मुश्त्री/मुनादी के द्वारा इतलाह दी जाती है कि वह असालतन या वकालतन तिथि 26-02-2026 को प्रातः

11.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवे। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दीगर कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 24-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी नायब तहसीलदार,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

अशोक कुमार पुत्र तारो राम, निवासी महाल होशियाना, डा0 हौरी देवी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए दुरुस्ती नाम राजस्व रिकॉर्ड महाल होशियाना व गुब्बर मौजा हौरी देवी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

प्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र तारो राम, निवासी महाल होशियाना, डा0 हौरी देवी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, विद्यालय प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेज में उसका नाम अशोक कुमार श्री तारो राम लिखा है, जोकि सही है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड महाल होशियाना व गुब्बर में उसका नाम अशोक सिंह पुत्र तारु दर्ज हो गया, जोकि गलत है। अशोक सिंह पुत्र तारु व अशोक कुमार पुत्र तारो राम एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम अशोक सिंह के स्थान पर अशोक कुमार दुरुस्त कागजात माल के आदेश जारी किए जाएं। प्रार्थी के आवेदन के समर्थन में शपथ-पत्र प्रार्थी, नकल जमाबन्दी व आधार कार्ड, विद्यालय प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड साथ संलग्न हैं।

इस इश्तहार गजट राजपत्र द्वारा हर आम व खास को प्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र तारो राम, निवासी महाल होशियाना, डा0 हौरी देवी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के आवेदन बराए दुरुस्ती नाम राजस्व रिकॉर्ड में सूचित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के आवेदन बारे कोई आपत्ति हो तो वह एक माह के भीतर असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। कोई आपत्ति दर्ज न होने की सूरत में नियमानुसार दुरुस्ती नाम के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर सहित मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 25-02-2026

संजु कुमार पुत्र स्व० श्री जगदीश चन्द, गांव टिकरी, डाकघर जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—इश्तहार अखबारी बराये जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

संजु कुमार पुत्र स्व० श्री जगदीश चन्द, गांव टिकरी, डाकघर जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अधिवक्ता श्री विनोद कुमार जगगी के माध्यम से स्वयं पेश होकर प्रार्थना-पत्र हलफी ब्यान पेश किया व आवेदन किया कि मेरी पुत्री श्रुति का जन्म दिनांक 22-10-2008 को गांव टिकरी, डाकघर जयसिंहपुर, ग्राम पंचायत वाग कुलंजा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी के घर वालों ने जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत वाग कुलंजा के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपनी पुत्री का जन्म पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत वाग कुलंजा को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त संजु कुमार पुत्र स्व० श्री जगदीश चन्द, गांव टिकरी, डाकघर जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की पुत्री श्रुति की जन्म तिथि 22-10-2008 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-02-2026 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव वाग कुलंजा को जारी कर दिया जायेगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 05-02-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

स्नेह लता पुत्री जगदीश राम, वासी महाल कडोल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

समस्त आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

नोटिस (मुश्री मुनादी) बनाम आम जनता।

प्रार्थिया स्नेह लता पुत्री जगदीश राम, वासी महाल कडोल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 24-05-1978 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है। जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो व प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपना उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति/एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :
08/RNTK

किस्म मुकद्दमा :
नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी :
26-02-2026

हरपाल शर्मा पुत्र ठाकर दास, निवासी गांव व डाकघर त्रिलोकपुर, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी हरपाल शर्मा ने इस अदालत में अपने नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व महाल तिलोकनाथ में हरपाल सिंह दर्ज है जबकि तमाम रिकॉर्ड में हरपाल शर्मा दर्ज है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2022-23, महाल तिलोकनाथ, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र की प्रति, हल्फिया ब्यान साथ संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम हरपाल सिंह/हरपाल शर्मा किए जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 26-02-2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 02-02-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं० :
07/RNTK

किस्म मुकद्दमा :
नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी :
26-02-2026

राज सिंह पुत्र वजीरा, निवासी महाल ककड़ोह, डाकघर वेही पठियार, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी राज सिंह ने इस अदालत में अपने नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड महाल ककड़ोह में रासो दर्ज है। जबकि तमाम रिकॉर्ड में राज सिंह दर्ज है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2021-22, महाल ककड़ोह, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल की प्रति, हल्फिया ब्यान साथ संलग्न की है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इशतहार से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम रासो उर्फ राज सिंह किए जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 26-02-2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 02-02-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं० :
09/RNTK

किस्म मुकद्दमा :
नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी :
26-02-2026

निर्मला देवी विधवा त्रिलोक चन्द पुत्र मोती, निवासी महाल कुठेड़, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया निर्मला देवी ने इस अदालत में अपने पति की नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड महाल कुठेड़ में त्रिलोक चन्द दर्ज है। जबकि सही नाम त्रिलोक चन्द है। जिसे वह दुरुस्त

करवाना चाहती है। इस बारे में प्रार्थिया ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2023-24, महाल कुठेहड़, आधार कार्ड, हल्फिया ब्यान की प्रति, परिवार रजिस्टर नकल साथ संलग्न की है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि महाल कुठेहड़ के राजस्व रिकॉर्ड में तरलोक चन्द उर्फ त्रिलोक चन्द किए जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 26-02-2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 02-02-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :
10/RNTK

किस्म मुकद्दमा :
नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी :
26-02-2026

स्वर्ण सिंह पुत्र निक्कू राम पुत्र चेतू, निवासी गांव वडेड, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी स्वर्ण सिंह ने इस अदालत में अपने पिता के नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड महाल वडेड में हीरा दर्ज है जबकि सही नाम निक्कू राम है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2024-25, महाल वडेड, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति हल्फिया ब्यान साथ संलग्न की है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इशतहार से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम हीरा उर्फ निक्कू राम किए जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 26-02-2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 02-02-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :
11/RNTK

किस्म मुकद्दमा :
नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी :
26-02-2026

तरसेम लाल पुत्र चन्दा सिंह, निवासी गांव वडेड, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी तरसेम लाल ने इस अदालत में अपने पिता के नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड महाल वडेड में झौंफी राम दर्ज है जबकि सही नाम चन्दा सिंह है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2024-25, महाल वडेड, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति हलफिया ब्यान साथ संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम झौंफी राम उर्फ चन्दा सिंह किए जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 26-02-2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 02-02-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :
12/RNT/2025

किस्म मुकद्दमा :
मृत्यु तिथि पंजीकरण

तारीख पेशी :
26-02-2026

निर्मला देवी पत्नी जगरुप सिंह, निवासी गांव भरनोली, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया निर्मला देवी ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार, जन्म व मृत्यु, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के माध्यम से गुजारा है जिसमें उनकी माता की मृत्यु तिथि 25-08-1952 दर्शाई है। मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत जोल में दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत उसने बतौर सबूत हलफिया ब्यान, दो गवाहों के हलफिया ब्यान, आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा मृत्यु तिथि बारे पत्र की प्रति संलग्न की है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निर्मला देवी पत्नी जगरूप सिंह, निवासी गांव भरनोली, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत जोल में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 26-02-2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 02-02-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं० :
13/RNT/2025

किस्म मुकद्दमा :
जन्म तिथि पंजीकरण

तारीख पेशी :
26-02-2026

सुमना कुमारी पुत्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव तिलोकपुर, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

इस अदालत में आवेदन-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार, जन्म व मृत्यु, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के माध्यम से सुमना कुमारी पुत्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव तिलोकपुर, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की जन्म तिथि 17-09-1975 का पंजीकरण ग्राम पंचायत तिलोकपुर में दर्ज करवाने बारे पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र के साथ बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो गवाहों के हल्फिया ब्यान साथ संलग्न की है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुमना कुमारी पुत्री प्रकाश चन्द की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तिलोकपुर में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 26-02-2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 02-02-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० :
16/RNTK

किस्म मुकद्दमा :
नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी :
26-02-2026

कुन्जू राम पुत्र रिझु राम, निवासी महाल डोलवां, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी कुन्जू राम ने इस अदालत में अपने व अपने पिता के नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड महाल डोलवां में क्रमशः कुन्ज लाल पुत्र रिझु दर्ज है जबकि सही नाम क्रमशः कुन्जू राम पुत्र रिझु राम है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2020-21, महाल डोलवां आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति हलफिया ब्यान साथ संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम क्रमशः कुन्ज लाल उपनाम कुन्जू राम पुत्र रिझु उपनाम रिझु राम किए जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 26-02-2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 04-02-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० :
14/RNTK

किस्म मुकद्दमा :
नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी :
26-02-2026

रमेश चन्द पुत्र फकीर चन्द पुत्र वैन्ता, निवासी महाल वलाह, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी रमेश चन्द ने इस अदालत में अपने पिता के नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र दिया है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड महाल वलाह में फकीर दर्ज है जबकि सही नाम फकीर चन्द है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत

पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2023-24, महाल वलाह, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति हल्फिया ब्यान साथ संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम फकीर उर्फ फकीर चन्द किए जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 26-02-2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 04-02-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० :
15/RNTK

किस्म मुकद्दमा :
नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी :
26-02-2026

गोपाल दास पुत्र देविया, निवासी गांव जोल, डाकघर भाली, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा,
हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी गोपाल दास ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड महाल जोल में गोपाल सिंह दर्ज है जबकि सही नाम गोपाल दास है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2023-24, महाल जोल, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति स्कूल प्रमाण-पत्र की प्रति हल्फिया ब्यान साथ संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम गोपाल सिंह उर्फ गोपाल दास किए जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 26-02-2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 04-02-2026 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मिसल नं0 : 821819/2026

तारीख मजरुआ : 31-01-2026

तारीख पेशी : 26-02-2026

श्री हरी चंद पुत्र श्री प्रशोतम चंद पुत्र किरपा, निवासी महाल मोरठ, मौजा जसाई, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री हरी चंद पुत्र श्री प्रशोतम चंद पुत्र किरपा, निवासी महाल मोरठ, मौजा जसाई, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत में दिनांक 31-01-2026 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम हरी चंद है व प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम प्रशोतम चंद है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल मोरठ में हरी राम दर्ज हो चुका है व प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल मोरठ में प्रशोतम दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, नकल जमाबन्दी, स्व घोषणा पत्र, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण-पत्र, रिपोर्ट ग्राम पंचायत प्रधान मोरठ-जसाई व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने व अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल मोरठ में प्रार्थी का नाम हरी राम के स्थान पर हरी चंद पुत्र प्रशोतम चंद पुत्र किरपा, निवासी महाल मोरठ, मौजा जसाई, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा हि0प्र0 व राजस्व अभिलेख महाल मोरठ में प्रार्थी के पिता का नाम प्रशोतम के स्थान पर प्रशोतम चंद पुत्र किरपा, निवासी महाल मोरठ, मौजा जसाई, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-02-2026 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 31-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

समक्ष नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मिसल नं0 : 821817/2026

तारीख मजरुआ : 29-01-2026

तारीख पेशी : 26-02-2026

श्रीमती निर्मला देवी विधवा स्व0 श्री सुरिन्द्र कुमार पुत्र अनन्त राम, निवासी गांव सोहरन, डाकघर बालूगलोआ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्रीमती निर्मला देवी विधवा स्व० श्री सुरिन्द्र कुमार पुत्र अनन्त राम, निवासी गांव सोहरन, डाकघर बालूगलोआ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि०प्र० ने अदालत में दिनांक 29-01-2026 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थिया के पति का वास्तविक नाम सुरिन्द्र कुमार है, परन्तु प्रार्थिया के पति का नाम राजस्व अभिलेख महाल सोहरन में सुरिन्द्र नाथ दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, नकल जमाबन्दी, नकल शजरा नस्ब, स्व घोषणा पत्र, परिवार नकल, निर्वाचन पहचान पत्र, रिपोर्ट ग्राम पंचायत प्रधान चकबन घीण व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थिया ने अपने पति के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल सोहरन में प्रार्थिया श्रीमती निर्मला देवी के पति का नाम सुरिन्द्र नाथ के स्थान पर सुरिन्द्र कुमार पुत्र अनन्त राम, निवासी गांव सोहरन, डाकघर बालूगलोआ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा हि०प्र० के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-02-2026 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 29-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : 07/तह०/2026

दिनांक पेशी : 24-02-2026

रिषभ शर्मा

बनाम

योगिन्द्र प्रसाद आदि

विषय.—तकसीम भूमि खाता नम्बर 1, खतौनी नम्बर 01, खसरा कित्ता 10, रकबा तादादी 03-19-04, वाक्या महाल कुटाहण, मौजा व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र० जमाबन्दी वर्ष 2022-23.

मुश्री मुनादी बनाम : 1. योगिन्द्र प्रसाद पुत्र अजुध्या प्रसाद उपनाम अजुध्या दास, 2. गिरधारी लाल पुत्र अजुध्या प्रसाद उपनाम अजुध्या दास, 3. संजय कुमार पुत्र किशोरी लाल, 4. राजीव कुमार पुत्र किशोरी लाल समस्त निवासीगण महाल कुटाहण मौजा व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा हि०प्र०, 5. विन्ता देवी पुत्री किशोरी लाल हाल पत्नी अशवनी कुमार, निवासी महाल डगरुही, डाकघर महाराजनगर, 6. आशा देवी पुत्री किशोरी लाल हाल पत्नी नरेश कुमार निवासी गांव व डाकघर वगेहडा, तहसील सुजानपुर टिहरा, जिला

हमीरपुर, हि0प्र0, 7. राज कुमारी पत्नी किशोरी लाल, गांव कुटाहण मौजा व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रतिवादियों को समन जारी किये जा चुके हैं। परन्तु इनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण इस तकसीम के सम्बन्ध में रुचि नहीं ले रहे हैं।

अतः इस मुश्री मुनादी द्वारा आम जनता द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी प्रतिवादीगण को इस सम्बन्ध में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-02-2026 को दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 03-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील भड़ोली,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० : 822219/26

तारीख दायरा : 05-02-2026

तारीख पेशी : 10-03-2026

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती।

प्रेम चंद पुत्र हरनाम सिंह, निवासी बेडली, मौजा व उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी प्रेम चंद पुत्र हरनाम सिंह, निवासी बेडली, मौजा व उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र स्व0-घोषणा के साथ पेश करते हुए निवेदन किया है कि उसका नाम स्कूल के प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रेम चंद दर्ज हैं, जोकि सही दर्ज है। परन्तु महाल बेडली, मौजा भड़ोली प्रथम के राजस्व अभिलेख में गलती से प्रेम सिंह पुत्र हरनाम सिंह पुत्र टीपू दर्ज किया गया है जोकि गलत दर्ज किया गया है। दो अलग-अलग नाम होने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सायल अपना नाम महाल बेडली के राजस्व रिकार्ड में प्रेम सिंह पुत्र हरनाम सिंह पुत्र टीपू के बजाये प्रेम चंद पुत्र हरनाम पुत्र टीपू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-03-2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी प्रेम चंद पुत्र हरनाम सिंह, निवासी बेडली, मौजा व

उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती आदेश जेर-धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

In the Court of Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Raja Ka Talab,
District Kangra (H.P.)

File No. /TEH/2026 Date of Institution : 28-01-2026 Case Titled : Correction of name

Ramesh Chand s/o Saran Dass, r/o Village Rour & P.O. Reham, Sub-Teshil Raja ka Talab,
District Kangra, H.P. . .Applicant.

Versus

The General Public

. .Respondent.

Whereas, Ramesh Chand s/o Saran Dass, r/o Village Rour & P.O. Rehan, Sub-Teshil Raja ka Talab, District Kangra, H.P. has filed an application before the undersigned in which he has stated that his father'd correct name according to Gram Panchayat record, Aadhar Card, Bank Record, Mark List etc. is Saran Dass s/o Bhima but due to clerical mistake his father's name has been wrongly entered in Revenue record of Mohal Rour, Patwar Circle Rehan bearing Khata No. 2 & 18 & Mohal Chamral Patwar Circle Jharoli bearing Khata No. 125.

The enquiry of the application filed by the applicant was conducted through field revenue agencies and after receiving report from the field revenue agencies, it has been observed that the applicant's correct name is Saran Dass s/o Bhima but the name of the applicant is recorded in revenue record is Ram Saran s/o Bhima.

Now, therefore, in pursuance of section 38 of H.P. Land Revenue Act, 1954, proclamation is hereby issued to all General public concerned that objection in this regard for the correction of the name of Ram Saran s/o Bhima shall be heard by the undersigned on 16-03-2026 in this court at Raja Ka Talab. Any person having any objection to make in the matter may due so on the said date and place in person or through legal practitioner or through recognised agent. In case of non appearance proceedings will be taken *ex-parte* and necessary action in this matter will be taken accordingly as per law.

Given under my hand and seal of the court on 10-02-2026.

Seal.

Sd/-
Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Raja Ka Talab, District Kangra (H.P.).

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0
02/2026

तारीख दायरा
29-01-2026

तारीख पेशी
10-02-2026

पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती सपना देवी सपुत्री देवी कर्म चन्द, निवासी महाल पलवाना, डा0 सकौट, तहसील व जिला कांगड़ा हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती सपना देवी सपुत्री देवी कर्म चन्द, निवासी महाल पलवाना, डा0 सकौट, तहसील व जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 16-12-1981 को ग्राम पंचायत समेला में हुआ है लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत समेला तहसील व जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 20-02-2026 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 10-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0
33/2025

तकसीम

तारीख पेशी
24-02-2026

उधो राम

बनाम

परमजीत आदि।

प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, बाबत भूमि खाता नं0 25, खतौनी नं0 39, ता 42 खसरा नम्बरान कित्ता 52 रकबा 0-73-39 हैक्टयर, स्थित महाल घट्टा, मौजा दौलतपुर, जमाबन्दी साल 2022-23, पटवार वृत्त चौहन्दा तहसील व जिला कांगड़ा।

इशतहार/मुश्री मुनादी।

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है। रविन्द्र कुमार पुत्र व सर्व श्रीमती रमना देवी, सुमना देवी पुत्रियां विक्रमा देवी, निवासी महाल वड़ी वही डा0 गांहलिया श्रीमती लीला देवी पुत्री गोरखू, विनोद कुमार, सुनील कुमार पुत्र श्रीमती विक्रमा देवी सम्मत निवासी महाल घट्टा, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इत्तलाह साधारण तरीके से न हो सकती है। अतः इस इश्तहार/मुश्ट्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-02-2026 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
13/2025/TEH

तारीख दायरा
20-01-2025

तारीख पेशी
20-02-2026

प्रार्थी सुभाष कुमार पुत्र हरी राम, निवास महाल नटेहड़, डा0 कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी सुभाष कुमार पुत्र हरी राम, निवास महाल नटेहड़, डा0 कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में आग्रह किया गया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड महाल नटेहड़ मौजा उजैन में सुभाष चन्द दर्ज है जोकि गलत दर्ज है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम सुभाष कुमार पुत्र हरी राम दर्ज है जोकि सही है अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम सुभाष चन्द के बजाए सुभाष कुमार पुत्र हरी राम दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 24-02-2026 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
04 / 2026

तारीख दायरा
11-02-2026

तारीख पेशी
03-03-2026

पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती प्रकाशो देवी पत्नी कर्म चन्द, निवासी गांव व डा0 धमेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती प्रकाशो देवी पत्नी कर्म चन्द, निवासी गांव व डा0 धमेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना—पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके पुत्र अशवनी कुमार पुत्र कर्म चन्द का जन्म दिनांक 29-01-1985 को हुआ है लेकिन उक्त जन्म तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत तकीपुर, तहसील व जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज न हो सका। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 03-03-2026 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना—पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 11-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
03 / 2026 / TEH

तारीख दायरा
03-02-2025

तारीख पेशी
03-03-2026

प्रार्थी रमेश नाग पुत्र मान चन्द, निवासी महाल वाग मौजा दौलतपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड महाल बाग, मौजा दौलतपुर में रमेश कुमार दर्ज है, जो कि गलत दर्ज है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम रमेश नाग पुत्र मान चन्द दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम रमेश कुमार के बजाए रमेश नाग पुत्र मान चन्द दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 03-03-2026 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं०
05 / 2026

तारीख दायरा
11-02-2026

तारीख पेशी
03-03-2026

पंजीकरण प्रार्थी रविन्द्र कुमार पुत्र लखू राम, निवासी गांव व डा० दौलतपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

पंजीकरण प्रार्थी रविन्द्र कुमार पुत्र लखू राम, निवासी गांव व डा० दौलतपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि० प्र० ने प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 15-04-1978 को ग्राम पंचायत दौलतपुर में हुआ है लेकिन उक्त जन्म तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत तकीपुर, तहसील व जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 03-03-2026 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 11-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं०
15/2026/TEH

तारीख दायरा
11-02-2026

तारीख पेशी
05-03-2026

प्रार्थी प्रकाश चन्द पुत्र संत राम, निवासी महाल जनयानकड़, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका व उसके पिता का नाम महाल जटेहड़ पटवार वृत्त जलाड़ी में गलत दर्ज है प्रार्थी अपने नाम की व अपने पिता के नाम की राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करवाना चाहता है प्रार्थी का नाम महाल जटेहड़ में प्रकाश दर्ज है, जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम प्रकाश चन्द दर्ज है जोकि सही है व प्रार्थी के पिता का नाम महाल जटेहड़ में सन्तू दर्ज है जोकि गलत है जबकि सही नाम संत राम दर्ज है जो कि सही है अतः प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का सही नाम महाल जटेहड़ मौजा जलाड़ी पटवार वृत्त जलाड़ी में सही किया जाए। प्रकाश दर्ज है जोकि गलत दर्ज है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम प्रकाश चन्द पुत्र संत राम दर्ज है जोकि सही है अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश के बजाए प्रकाश चन्द पुत्र संत राम प्रार्थी के पिता का नाम सन्तू के बजाए सन्त राम उपनाम सन्तू पुत्र भोली सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 05-03-2026 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं० 06/2026	तारीख दायरा 11-02-2026	तारीख पेशी 03-03-2026
---------------------	---------------------------	--------------------------

पंजीकरण प्रार्थी रघुवीर सिंह पुत्र जौधू राम, निवासी गांव अवदुल्लापुर, डा० जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

पंजीकरण प्रार्थी रघुवीर सिंह पुत्र जौधू राम, निवासी गांव अवदुल्लापुर, डा० जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि० प्र० ने प्रार्थना-पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसकी माता श्रीमती कौफू देवी पत्नी स्व० जौधू राम की मृत्यु दिनांक 20-03-2000 को हुई है लेकिन उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत अवदुल्लापुर, तहसील व जिला कांगड़ा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 03-03-2026 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 11-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

मिसल नं० /2025	तारीख दायरा 10-02-2026	तारीख पेशी 05-03-2026
-------------------	---------------------------	--------------------------

प्रार्थिया श्रीमती निर्मला देवी पुत्री ईशवर दास हाल पत्नी सुरिन्द्र कुमार हाल निवासी महाल गांव व डा० सकोह, तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म पंजीकरण श्रीमती निर्मला देवी पुत्री ईशवर दास हाल पत्नी सुरिन्द्र कुमार हाल निवासी महाल गांव व डा0 सकोह, तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया कि उसका जन्म पंजीकरण दिनांक 16-11-1974 को हुआ है लेकिन उक्त जन्म पंजीकरण तारीख ग्राम पंचायत घुरकड़ी खास के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 05-03-2026 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 10-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील इन्दौरा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 71/तह/2025

तारीख दायर : 09-12-2025

रेनू कटोच पुत्री रणजीत सिंह, निवासी गांव इन्दपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थिया रेनू कटोच पुत्री रणजीत सिंह, निवासी गांव इन्दपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसका नाम अन्य अभिलेखों में रेनू कटोच दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है जबकि राजस्व अभिलेख महाल इन्दपुर में प्रार्थिया का नाम आरती देवी दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस कारण उसके नाम की दुरुस्ती आरती देवी की बजाये आरती देवी उपनाम रेनू कटोच राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्री/मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-02-2026 को असागतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील इन्दौरा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं० : /तह/2026

तारीख दायर : 19-01-2026

श्री जीवन कुमार पुत्र चरण दास, निवासी गांव थात, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री जीवन कुमार पुत्र चरण दास, निवासी गांव थात, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसका नाम अन्य अभिलेखों में जीवन कुमार दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है जबकि राजस्व अभिलेख महाल इन्दपुर में प्रार्थी का नाम जीवन सिंह दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस कारण उसके नाम की दुरुस्ती जीवन सिंह की बजाये जीवन सिंह उपनाम जीवन कुमार राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री/मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-02-2026 को असातन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पी. सी. कौण्डल तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, उप-तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती।

तारीख पेशी : 26-02-2026

श्री बलबीर सिंह पुत्र हरी राम पुत्र उधमी, निवासी गांव व डाकघर उपरला सिहोटू, तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थी बलबीर सिंह पुत्र हरी राम पुत्र उधमी, निवासी गांव व डाकघर उपरला सिहोटू, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण—पत्र व परिवार रजिस्टर नकल आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कि प्रार्थी का सही नाम बलबीर सिंह पुत्र हरी राम पुत्र

उधमी राम है जबकि महाल सिहोटू उपरला के राजस्व अभिलेख में सहवन वीर सिंह पुत्र हरी राम पुत्र उधमी दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है। अतः महाल सिहोटू उपरला के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम वीर सिंह के स्थान पर बलवीर सिंह पुत्र हरी राम पुत्र उधमी सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री/मुनादी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-02-2026 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगमी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पी. सी. कौण्डल तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, उप-तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती।

तारीख पेशी : 26-02-2026

त्रिलोक चन्द पुत्र सरन दास उपनाम राम सरन, निवासी गांव गरला सरकारी व डाकघर गरला देई,
तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थी त्रिलोक चन्द पुत्र सरन दास उपनाम राम सरन, निवासी गांव गरला सरकारी व डाकघर गरला देई, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, हिमाचल ग्रामीण बैंक की पास बुक की छायाप्रति आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कि प्रार्थी के पिता का सही नाम सरन दास पुत्र मांगो है जबकि महाल गरला सरकारी के राजस्व अभिलेख में सहवन राम सरन पुत्र मांगो दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है। अतः महाल गरला सरकारी के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम राम सरन के स्थान पर सरन दास पुत्र मांगो सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री/मुनादी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-02-2026 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगमी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत पी. सी. कौण्डल तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, उप-तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती।

तारीख पेशी : 26-02-2026

धनी राम पुत्र मन्शा राम पुत्र तोता, निवासी महाल पन्तेहड, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थी धनी राम पुत्र मन्शा राम पुत्र तोता, निवासी महाल पन्तेहड, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कि प्रार्थी का सही नाम धनी राम पुत्र मन्शा राम है जबकि महाल पन्तेहड के राजस्व अभिलेख में सहवन भागीरथ पुत्र मन्शा राम पुत्र तोता दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है। अतः महाल पन्तेहड के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम भागीरथ पुत्र मन्शा राम के स्थान पर भागीरथ उपनाम धनी राम पुत्र मन्शा राम पुत्र तोता सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री/मुनादी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-02-2026 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगमी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

1. सन्नी कमलेश राणा पुत्र श्री कमलेश राणा, निवासी गांव दसलूँ, डाकघर लोऊर लम्वागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

2. ज्योति सदर्शन सिंह परमार पुत्री सुदर्शन सिंह परमार, निवासी गांव ननाओ, डाकघर सुलहा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत लम्वागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

विषय.—प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी सन्नी कमलेश राणा पुत्र श्री कमलेश राणा, निवासी गांव दसलूँ, डाकघर लोऊर लम्वागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 व ज्योति सुदर्शन सिंह परमार पुत्री सुदर्शन सिंह परमार, निवासी गांव ननाओ, डाकघर सुलहा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना-पत्र मय अन्य दस्तावेज पेश करके प्रार्थना की है कि उनका विवाह दिनांक 27-11-2020 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न ग्राम पंचायत लम्वागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में हुआ है लेकिन वह अन्नभिज्ञता के कारण इस का इन्द्राज ग्राम पंचायत लम्वागांव में दर्ज नहीं करवा सके। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्तरी/मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री सन्नी कमलेश राणा व ज्योति सुदर्शन सिंह परमार के विवाह दिनांक 27-11-2020 के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 26-02-2026 को पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमनुसार पंजीकरण के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सदर, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश**

आशीष ठाकुर पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी गांव पटराहण, डा0 कपाही, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

जन्म तिथि दर्ज करने बारे इश्तहार समाचार पत्र/मुश्तरी मुन्यादी।

आशीष ठाकुर पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी गांव पटराहण, डा0 कपाही, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का जन्म दिनांक 18-02-2002 को जोनल अस्पताल मण्डी में हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश पंचायत कपाही के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं कर सका है। इसलिए प्रार्थी का जन्म दिनांक 18-02-2002 ग्राम पंचायत कपाही के रजिस्टर में दर्ज किया जावे।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में आम जनता को इश्तहार समाचार पत्र/मुश्तरी मुन्यादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि दर्ज किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 07-03-2026 को प्रातः 10.00 बजे से पूर्व उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यह इशतहार आज दिनांक 07-02-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :—

1. Sh. Prashant Kumar s/o Sh. Nand Lal, r/o Village Khilra, P.O. Meramasit, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. PIN-175 036.

2. Ms. Aishani Das d/o Sh. Ankur Das, Flat 3C, 22 Sarat Ghose Garden Road, Dhakuria, Kolkata West Bengal-700 031. ..Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Notice of intended Marriage under section 5 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Prashant Kumar s/o Sh. Nand Lal, r/o Village Khilra, P.O. Meramasit, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. PIN-175 036 and Ms. Aishani Das d/o Sh. Ankur Das, Flat 3C, 22 Sarat Ghose Garden Road, Dhakuria, Kolkata West Bengal-700 031 have presented a notice in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 that they are intending to marry within three calendar months and hence their marriage may be solemnized and registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-03-2026 after that no objection will be entertained and marriage will be accordingly solemnized & registered.

Issued today on 06th day of February, 2026, under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Megistrate, Kumarsain, District Shimla (H.P.)

Smt. Poonam Devi w/o Sh. Rajinder Kumar, r/o Village Thanu, P.O. Kangal, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) ..Applicant.

Versus

General Public

..Respondant.

Notice/proclamation Regarding Correction of Name Nakal Pariwar entry/update of Name of Erika Mehta.

Whereas applicant Smt. Poonam Devi w/o Sh. Rajinder Kumar, r/o Village Thanu, P.O. Kangal, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) has submitted an application to this court with the request to change name in the Nakal Pariwar as his daughter's name has been entered as Addriza Mehta, which is wrong. His daughter's correct name is Erika Mehta. In support, he has attached the copy of form number-05, Nakal Pariwar, and request that his daughter's name may be corrected as Erika Mehta in place of Addriza Mehta as per the Panchayat Record.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, any one has any objection regarding correction of his daughter's name from Addriza Mehta to Erika Mehta in the Nakal Pariwar, they may appear before the undersigned on or before 04-03-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order will be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 04-02-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Kumarsain, District Shimla (H.P.).*

In the Court of Sub-Divisional Megistrate, Kumarsain, District Shimla (H.P.)

Saroja Kumari w/o Sh. Ranjeet Verma, r/o Village Sablog, P.O. Pharal, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.).

..Applicant.

Versus

General Public

..Respondant.

Notice/proclamation Regarding Correction of Name Aadhar Card of Saroja Kumari.

Whereas applicant Saroja Kumari w/o Sh. Ranjeet Verma, r/o Village Sablog, P.O. Pharal, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) has submitted an application to this court with the request that Aadhar Card has name been entered as Saroj which is wrong. Her correct name is Saroja Kumari. In supports he has attached the copy of Himachal Bonafide certificate, copy of Aadhar Card has name may be corrected as Saroja Kumari in place of Saroj as per the Panchayat Record.

Now, therefore, objection are invited from the general public that if, any one has any objection regarding correction of name from Saroj to Saroja Kumari in Aadhar Card, they may appear before the undersigned on or before 03-03-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order will be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 3rd day of February, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Kumarsain, District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum- Sub-Division Magistrate, Shimla Rural,
District Shimla, Himachal Pradesh**

1. Sh. Dixit Kumar s/o Sh. Ram Saran, r/o VPO & Tehsil Junga, District Shimla, Himachal Pradesh Age 38 years.

2. Ms. Ekta Devi d/o Sh. Darshan Kumar, r/o Village Tagra Kali Ram, Tehsil Kalka, District Panchkula, Haryana, Age 38 years at present w/o Sh. Dixit Kumar s/o Sh. Ram Saran, r/o VPO & Tehsil Junga, District Shimla (H.P.).

Versus

General Public

Registration of marriage under the H.P. Registration of Marriages Act, 1996.

Sh. Dixit Kumar s/o Sh. Ram Saran, r/o VPO & Tehsil Junga, District Shimla, Himachal Pradesh and Ms. Ekta Devi d/o Sh. Darshan Kumar, r/o Village Tagra Kali Ram, Tehsil Kalka, District Panchkula, Haryana at present w/o Sh. Dixit Kumar s/o Sh. Ram Saran, r/o VPO & Tehsil Junga, District Shimla, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the Court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 25-11-2012 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages of Gram Panchayat concerned /Municipal Corporation Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage, then they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 06-02-2026.

Seal.

Sd/-

*Additional District Registrar of Marriages-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Rural).*

**In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Smt. Meena Chauhan w/o Sh. Mohal Lal Chauhan, r/o House No. 15, Block No. 13-C,
SDA, Colony Vikas Nagar Shimla, H.P. . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Meena Chauhan w/o Sh. Mohal Lal Chauhan, r/o House No. 15, Block No. 13-C,
SDA, Colony Vikas Nagar Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for
registration of date of birth of her daughter namely SONYA CHAUHAN (DOB 10-04-1977) at
Government accomodation at Chhota Shimla, H.P. in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, through this proclamation, the general public is hereby informed that any person
having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in
writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official
Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided
accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 10th February, 2026.

Seal.

Sd/-

*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Smt. Parvati Devi d/o Sh. Surender Singh at present w/o Sh. Kamal Parasad, r/o Flat No. 1,
Building No. 5, New Pandey House, Near ITI, The Mall Solan, District Solan, H.P. 173 212
.. Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Parvati Devi d/o Sh. Surender Singh at present w/o Sh. Kamal Parasad, r/o Flat No. 1,
Building No. 5, New Pandey House, Near ITI, The Mall Solan, District Solan, H.P. 173 212 has
preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of herself namely Parvati
Devi (DOB 16-08-1984) at Pasli Cottage Tutikandi, Nabha Estate, Shimla, H.P. 171 001 in the
record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 10th February, 2026.

Seal.

Sd/-

*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).*

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या :
27 / 2025

तारीख मजरुआ :
04-03-2025

किस्म मुकद्दमा :
दुरुस्ती इन्द्राज

तारीख फैसला :
28-08-2025

मुकद्दमा संख्या : 01M / 2025

किस्म मुकद्दमा : जाति प्रमाण-पत्र बारे।

तारीख दायर : 15-10-2025

तारीख फैसला : धर्म पाल पुत्र श्रीमती चानू देवी, निवासी गांव व डाकघर बनास, डाकघर धार, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जाति प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।

इशतहार

धर्म पाल पुत्र श्रीमती चानू देवी, निवासी गांव व डाकघर बनास, डाकघर धार, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी करने बारे दरखास्त इस कार्यालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की माता श्रीमती चानू देवी पुत्री जलसु बचपन से ही गूंगी व बहरी है व दिमागी तौर पर विकलांग है और उससे प्रार्थी धर्म पाल को जन्म दिया है। वादी ने अपनी माता की जाति के आधार पर जन्म जाति प्रमाण-पत्र जारी करने बारे आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।

विषय उपरोक्त में आवेदन मौका छानबीन हेतु क्षेत्रीय कानूनगो झाखडी को भेजी गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो के पाया कि प्रार्थी धर्म पाल की माता श्रीमती चानू देवी पुत्री जलसु ने कोई शादी नहीं की है क्योंकि वह बचपन से ही गूंगी तथा बहरी है और प्रार्थी धर्म पाल को जन्म दिया है, लेकिन यह पता नहीं है कि उसका पिता कौन है तथा किस जाति से सम्बंध रखता था। वादी की माता स्वयं कोली जाति से सम्बंध रखती है जो उप-मोहाल सरपारा के माल कागजात खजरा नसल में दर्ज है।

मुताबिक नस्ब कयान वाशिन्दगान देह तथा उप-प्रधान ग्राम पंचायत सरपारा के ब्यानानुसार पाया कि श्रीमती चानू देवी पुत्री जलसू गांव बनास कंधार की रहने वाली है जिसने ताहाल कोई शादी नहीं की है।

श्रीमती चानू देवी ने लगभग 40-42 वर्ष पहले प्रार्थी धर्म पाल को जन्म दिया है जिसके पिता का कोई पता नहीं है कि कौन था और किस जाति से सम्बंध रखता था क्योंकि वास्तव में चानू देवी बचपन से गूंगी तथा बहरी है। श्रीमती चानू देवी पुत्री जलसू का नाम नकल परिवार रजिस्टर में धर्म पाल पुत्र चानू देवी के साथ दर्ज है और प्रार्थी की जाति दुरुस्त करने बारे सिफारिश की गई है और ग्राम पंचायत सरपारा के नकल प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 10-07-2025 की प्रस्ताव मूल प्रति भी संलग्न है जिसमें ग्राम पंचायत सरपारा ने प्रार्थी को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने बारे किसी को कोई भी एतराज नहीं है।

इस संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र संख्या रामपुर/तहसीलदार/2024-575, दिनांक 18-03-2025 को जाति बारे प्रमाण रिपोर्ट उपमण्डलाधिकारी (ना0) रामपुर को भेजी गई जिसके एवज में उपमण्डलाधिकारी (ना0) रामपुर के कार्यालय पत्र संख्या आर.एम.पी./रीडर (विविध) 2025-741, दिनांक 20-03-2025 को निर्देश जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 3 अक्टूबर, 2019 के अनुसार जिसमें अलग रहने वाली, तकालशुदा या अकेली माताओं से पैदा हुए बच्चों की जाति की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह परिपत्र स्पष्ट करता है कि ऐसे मामले में जहां पिता की पहचान अज्ञात है या बच्चे का पालन-पोषण केवल अनुसूचित जाति से संबंधित मां द्वारा किया जाता है, वहां बच्चे को मां की जाति से संबंधित माना जा सकता है। परिपत्र में रमेश भाई नायका बनाम गुजरात राज्य और अन्य [(2012) 3 एस.सी.सी. 400]] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ दिया गया है। परिपत्र में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अगर पिता अज्ञात है और मां अनुसूचित जाति से संबंधित है तो बच्चा अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने का दावा कर सकता है।

अतः इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी को यदि धर्म पाल पुत्र श्रीमती चानू देवी, निवासी गांव व डाकघर बनास, डाकघर धार, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) के परिवारजनों को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह आगमी तारीख पेशी दिनांक 20-02-2026 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जाति प्रमाण-पत्र जारी करने बारे आदेश पारित किए जाएंगे।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 30-12-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर (बुशहर), जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकदमा संख्या :
97 / 2025

तारीख दायर :
29-10-2025

किस्म दुरुस्ती :
दुरुस्ती इन्द्राज

मुकदमा शीर्ष :

श्रीमती दीपा कुमारी पुत्री श्री धर्मू निवासी गांव व डाकघर मझेवल, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्रीमती दीपा कुमारी पुत्री श्री धर्मू निवासी गांव व डाकघर मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का नाम मोहाल मझेवली के राजस्व कागजात माल में कुमारी तीपू पुत्री धर्मू पुत्र धोदी गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी का नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, बोनाफाईड, हिमाचल प्रमाण-पत्र शपथ-पत्र एवं राजस्व कागजात मोहाल शिवपुरी, तहसील देहरा गोपीपुर, जिला कांगड़ा में दीपा कुमारी है जोकि सही व दुरुस्त है को वादी राजस्व कागजात मोहाल मझेवली में दुरुस्त करवाना चाहती है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय कानूनगो झाखडी से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों के पाया कि वादी जमाबंदी वर्ष 2019-20 महाल मझेवली में अराजी खेवट नम्बरान 104, 106 में कुमारी तीपू पुत्री धर्मू पुत्र धोदी दर्ज है। जिस सन्दर्भ में मौके पर हाजिर जन वाशिंदगान देह के ब्यान कलमबद्ध किया गया जो शामिल मिसल है जिसका सत्यापन मिसल में संलग्न दस्तावेजों जैसे आधार, पैन कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, बोनाफाईड हिमाचली प्रमाण-पत्र एवं शपथ-पत्र से किया गया जोकि सही व दुरुस्त पाए गए। अतः दस्तावेजों के अनुसार राजस्व कागजात मोहाल मझेवली में वादी का नाम कुमारी तीपू पुत्री धर्मू पुत्र धोगी के स्थान पर सही नाम दीपा कुमारी पुत्री धर्मू पुत्र धोगी किया जाना वाजिब है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादिया दीपा कुमारी पुत्री धर्मू पुत्र धोगी, निवासी गांव व डाकघर मझेवली, तहसील रामपुर का नाम राजस्व कागजात माल, मौजा मझेवली में कुमारी तीपू पुत्री धर्मू पुत्र धोगी के स्थान पर दीपा कुमारी पुत्री धर्मू पुत्र धोगी दुरुस्त करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी मिति 20-02-2026 को अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-01-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या :
82068/2025

तारीख दायर :
30-09-2025

किस्म दुरुस्ती :
दुरुस्ती इन्द्राज

मुकद्दमा शीर्ष :

श्रीमती शान्ता देवी पत्नी दिनेश कुमार, निवासी गांव कनई, डाकघर करछम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्रीमती शान्ता देवी पत्नी दिनेश कुमार, निवासी गांव कनई, डाकघर करछम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने ऑनलाईन आर.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से कागज रहित दुरुस्ती दरखास्त जेर धारा 37 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत मोहाल खनेरी के राजस्व कागजात में अपना नाम शान्ता देवी पत्नी दिनेश कुमार पुत्र छियांग दोर्जे जोकि गलत दर्ज हुआ है के स्थान पर असल नाम शान्ता देवी पत्नी दिनेश कुमार पुत्र छियांग दोर्जे दुरुस्त करने बारे आवेदन प्रस्तुत किया है। जिस सन्दर्भ में आवेदन आनलाईन के माध्यम से क्षेत्रीय कानूनगो रामपुर को भेजी गई।

मौका छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय इकाईयों के पाया कि मौका व माल कागजात के खे0/सं0 237/359 चक खनेरी जमाबंदी वर्ष 2019-20 में दर्ज मालिका श्रीमती शान्ता देवी पत्नी दिनेश कुमार, निवासी कनई, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0प्र0 है जोकि गलत हुआ है। मुताबिक ब्यानात वाशिनदगान देह, नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस तथा आवेदिका के द्वारा दिए गए शपथ-पत्र में आवेदिका का नाम श्रीमती शान्ता देवी पत्नी दिनेश कुमार सही दर्ज है। यह कि मुताबिक सबूतों एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर आवेदिका का नाम राजस्व कागजात (जमाबंदी) में भी श्रीमती शान्ता देवी पत्नी दिनेश कुमार पुत्र छियांग दोर्जे के स्थान पर श्रीमती शान्ता देवी पत्नी दिनेश कुमार पुत्र छियांग दोर्जे दुरुस्त किया जाना उपयुक्त है। मौके पर ब्यानात कलमबद्ध किया गया जो शामिल मिसल है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादिया शान्ता देवी पत्नी दिनेश कुमार, निवासी कनई, डाकघर करछम, तहसील सांगला का नाम मोहाल खनेरी के राजस्व कागजात माल में शान्ता देवी पत्नी दिनेश कुमार पुत्र छियांग दोर्जे के स्थान पर शान्ता देवी पत्नी दिनेश कुमार पुत्र छियांग दोर्जे दुरुस्त करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी मिति 20-02-2026 को अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 13-01-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रेम लाल पुत्र धसू राम, निवासी गडाह, डाकघर मकडोग, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

Application for correction of name and Gender in the Aadhar Card.

आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रेम लाल पुत्र धसू राम, निवासी गडाह, डाकघर मकडोग, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसकी पुत्री का नाम आधार कार्ड में Baby of one Raksha Devi व s/o लिखा गया है

जोकि गलत है, जबकि उसका सही नाम सानवी है तथा d/o है। प्रार्थी अपनी पुत्री का नाम व d/o आधार कार्ड में दुरुस्त करवाना चाहता है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ नकल परिवार रजिस्टर, जन्म प्रमाण-पत्र व शपथ-पत्र संलग्न किए हैं।

अतः आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम व खास को आधार कार्ड में Baby of one Raksha Devi के स्थान पर सानवी व s/o के स्थान पर d/o दुरुस्त करने में कोई एतराज हो तो दिनांक 16-03-2026 को या इससे पूर्व इस अदालत में असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो हाजिर आकर अपना एतराज पेश करें। दीगर सूरत में Baby of one Raksha Devi के स्थान पर सानवी व s/o के स्थान पर d/o आधार कार्ड में दुरुस्त करने हेतु आदेश पातिर कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चौपाल, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

सलोचना पुत्री स्व0 श्री शालीग राम, निवासी गांव सारी, डाकघर हाटकोटी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0।

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म को दर्ज करवाने बारे।

इस कार्यालय में सलोचना पुत्री स्व0 श्री शालीग राम, निवासी गांव सारी, डाकघर हाटकोटी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म 20-01-1970 को गांव सारी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला में हुआ है परन्तु जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर ग्राम पंचायत मण्डोल में प्रार्थिया का जन्म दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 20-01-1970 ग्राम पंचायत मण्डोल, तहसील जुब्बल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत मण्डोल, तहसील जुब्बल में दर्ज करने बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 05-03-2026 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस को अदालत हजा में हाजिर होकर अपना उजर असालतन व वकालतन कर सकता है यदि उक्त तिथि तक कोई भी उजर व एतराज प्रस्तुत न हुआ तो यह समझा जाएगा कि प्रार्थिया के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत मण्डोल, तहसील जुब्बल में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है, और उपरोक्त प्रार्थिया के जन्म को पंजीकृत करने के आदेश संबन्धित ग्राम पंचायत मण्डोल को जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-02-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(कंवर युद्ध अभय सिंह)
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

NOTICE UNDER SECTION 6 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Sh. Madan s/o Sh. Kamal Bahadur, r/o Ward No. 10, Village and P.O. Jeori, Tehsil Rampur, Tyawal (53), District Shimla (H.P.) and Ms. Nisha Sharma d/o Sh. Ramesh Sharma, r/o Kapila Complex, Deonghat, Ward No. 1, Dehun (652), P.O. Saproon, Tehsil and District Solan (H.P.) have gave notice of intended marriage under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 to this office.

And whereas, both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that Sh. Madan and Ms. Nisha Sharma are unmarried. Both the applicants have requested for solemnization of their marriage.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage between above said Sh. Madan and Ms. Nisha Sharma, they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the aforesaid marriage will be solemnized accordingly and marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no, objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 5th day of February, 2026.

Seal.

Sd/-
(Dr. POONAM), HPAS,
Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).

Before the District Collector, Solan, Himachal Pradesh

NOTICE FOR SERVICE THROUGH PUBLICATION
(Under Section 118 of the H.P. Tenancy & Land Reforms Act, 1972)

Case No. 7/13 of 2005

State of Himachal Pradesh

. . Complainant.

Versus

1. Sh. Deepak s/o Sh. Rajinder Singh r/o Salogra, Tehsil and District Solan (H.P.), 2. Sh. Kapal Bhrary, 3. Sh. Om Prakash Bhrary, 4. Smt. Saroj Verma, 5. Smt. Salochna Chopra, 6. Smt Sumitra, 7. Smt. Suchitra and all sons and daughters/LRs of Late Sh. Bindra Bhrary, r/o 58, Majithia Road, Amritsar. . . Respondents.

Proceedings under section 118 of the H.P. Tenancy & Land Reforms Act, 1972 against the respondents.

Whereas, service of notice could not be effected upon above Respondents, in the ordinary manner, notice is hereby given to the said respondent to appear before the District Collector, Solan, either in person (through an authorized Director/Partner) or through pleader on 26th February, 2026 at 2.30 PM in this Court at Solan in view of the order passed by the Ld. Divisional Commissioner, Division Shimla, Shimla-2 with the direction to decide the matter as fresh after affording proper opportunity of being heard to the parties.

If the said respondents fail to appear on the above date, the manner shall be decided *ex- parte* in accordance with law.

Issued under my hand and seal of the District Collector, Solan on this 7th February, 2026.

Seal.

Sd/-
District Collector, Solan,
District Solan (H.P.).

Before the District Collector, Solan, Himachal Pradesh

NOTICE FOR SERVICE THROUGH PUBLICATION
(Under Section 118 of the H.P. Tenancy & Land Reforms Act, 1972)

Case No. 2/13 of 2023

State of Himachal Pradesh

. . Complainant.

Versus

1. M/s Super Rugs India LLP, Village Judi Kalan & Judi Khurd, Tehsil Baddi, District Solan, H.P. and Head Office at Plot No. 130, Industrial Area, Phase-I, Chandigarh (U.T.).

2. M/s Penguin Electronics Ltd., 4 Piramal Industrial Estate, S.V. Road, Goregaon (W), Mumbai-400 062 and Unit at Village Judi Kalan & Judi Khurd, Tehsil Baddi, District Solan, H.P.

3. M/s Dura Packaging Company, Village Judi Kalan & Judi Khurd, Tehsil Baddi, District Solan, H.P. . . Respondents.

Proceedings under section 118 of the H.P. Tenancy & Land Reforms Act, 1972 against the respondents.

Whereas, service of notice could not be effected upon Respondent No. 3, M/s Dura Packaging Company, in the ordinary manner, notice is hereby given to the said respondent to appear before the District Collector, Solan, either in person (through an authorized Director/Partner) or through pleader on 21st February, 2026 at 2.30 PM in this Court at Solan to show cause why the land comprised in Khasra No. 139, 140 (Kitta-2) measuring 5-11 Bighas in Mauja Judi Khurd, Tehsil Baddi and Khasra No. 177 measuring 3-19 Bighas in Mauja Judi Kalan, Tehsil Baddi, alongwith structures thereupon, should not be vested in the State Government for violation of Section 118 of the said Act.

If the said respondents fails to appear on the above date, the matter shall be decided *ex- parte* in accordance with law.

Issued under my hand and seal of the District Collector, Solan on 7th February, 2026.

Seal.

Sd/-

*District Collector,
Solan, District Solan (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Pushp Lata r/o Village Shegla Galu, P.O. Moviseri, Teh. Chachyot, Distt. Mandi (H.P.) wants to correct my name as Pushp Lata instead of Pushpa Devi in Aadhar records. All concerned please note.

PUSHP LATA
*r/o Village Shegla Galu,
P.O. Moviseri, Teh. Chachyot,
Distt. Mandi (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Kaushlya w/o Tota Ram, Village Bharapur, Dhaulakuan, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) inform that my name in Aadhar Card 3111 8362 0270 is written as Mamta Devi, which is wrong it should be corrected and written as Kaushlya.

KAUSHLYA
*w/o Tota Ram,
Village Bharapur, Dhaulakuan,
Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Uday Singh s/o Sh. Inder Singh, r/o V.P.O. Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.) declare that name of my father is wrongly mentioned as Leela Singh in my PAN Card number IKQPS6371Q. Therefore it should be changed to Inder Singh in my PAN. All concerned please note.

UDAY SINGH
*s/o Sh. Inder Singh,
r/o V.P.O. Chirgaon,
Distt. Shimla (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Durga Prashad Chand s/o Kavi Raj, r/o House No. 353, Near Anciet Shiva Mandir, Dungri Road, Manali (H.P.) have changed my name to Chandu Sharma for all future purposes. (CL25096442).

DURGA PRASHAD CHAND
*s/o Kavi Raj, r/o House No. 353,
Near Anciet Shiva Mandir, Dungri Road, Manali (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Kirna Devi w/o Sh. Rahul Kumar, r/o Vill. Ghirtholi, P.O. Ghirtholi, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is entered as Kiran Devi which is incorrect. Whereas my correct name is Kirna Devi. Be noted.

KIRNA DEVI
w/o Sh. Rahul Kumar,
r/o Vill. Ghirtholi,
P.O. Ghirtholi, Tehsil Baijnath,
Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jai Pal s/o Shri Vidya Sen, V.P.O. Khabal, Teh. Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.) declare that name of my son Yuvaan is wrongly mentioned as baby one of Santosh, in his Aadhar Card No. 9180 1700 5738. Therefore it should be changed to Yuvaan in his Aadhar Card. Note the relevant information.

JAI PAL
s/o Shri Vidya Sen,
V.P.O. Khabal, Teh. Chirgaon,
Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Joginder Singh s/o Mast Ram, r/o Ward No. 5, Village Mahlag Buhli, P.O. Malnoo, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is entered as Rajinder Singh which is incorrect. That my correct name is Joginder Singh. Concerned note.

JOGINDER SINGH
s/o Mast Ram,
r/o Ward No. 5,
Village Mahlag Buhli, P.O. Malnoo,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vikash Sharma s/o Sh. Roop Lal Sharma, r/o Village Kathalag, P.O. Hatwar, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my son's name from Anish Sharma to Krishav Sharma. Concerned note.

VIKASH SHARMA
s/o Sh. Roop Lal Sharma,
r/o Village Kathalag,
P.O. Hatwar, Tehsil Ghumarwin,
Distt. Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dolma Bagale w/o Shri Arjun Bagale, Vill. Saraswati Nagar, P.O. Hatkoti, Teh. Jubbal, Distt. Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Dolma Thapa in my Aadhar Card No. 3083 3550 9038. Therefore it should be changed to Dolma Bagale. Note the relevant information.

DOLMA BAGALE
w/o Shri Arjun Bagale,
Vill. Saraswati Nagar,
P.O. Hatkoti, Teh. Jubbal,
Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Anajli d/o Sh. Prem Singh, r/o V.P.O. Bhagani, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) inform that my name is written as Anajli in the Aadhar Card, which is wrong, it should be corrected and written as Anjali.

ANAJLI
d/o Sh. Prem Singh,
r/o V.P.O. Bhagani,
Tehsil Paonta Sahib,
District Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Pooja Kumari (36) d/o Late Sh. Des Raj, Village Saru Udaipur Khas (16), P.O. Udaipur, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.) declare that my name Pooja Raj Toor is wrongly entered in my education & other public records, my correct name is Pooja Kumari, please note.

POOJA KUMARI
d/o Late Sh. Des Raj,
Village Saru Udaipur Khas (16),
P.O. Udaipur, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dharam Pati w/o Trilok Chand, Village Devgarh, P.O. Samoli, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Dhundi Devi in my Aadhar Card. Therefore it should be changed to Dharam Pati in my Aadhar Card. All concerned may note please.

DHARAM PATI
w/o Trilok Chand,
Village Devgarh,
P.O. Samoli, Tehsil Rohru,
District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Satish Kumar s/o Sh. Jagat Ram, r/o Village Kohla Dhaliyal, P.O. Kukher, Tehsil Nurpur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Nitika to Nakita. She shall be known as Nakita for all purposes in future. All concerned please note.

SATISH KUMAR
s/o Sh. Jagat Ram,
r/o Village Kohla Dhaliyal, P.O. Kukher,
Tehsil Nurpur, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Ranjana Devi w/o Sh. Sunil Dutt, r/o Ward No. 7, Nadaun, P.O. & Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in Stock & Share Policy bond my name and as second holder my husband's name is wrongly entered as Ranjna Chaudhary & Sunil Chaudhary respectively. Whereas my correct name is Ranjana Devi & my husband's correct name is Sunil Dutt. All concerned please note.

RANJANA DEVI
w/o Sh. Sunil Dutt,
r/o Ward No. 7, Nadaun, P.O. & Tehsil Nadaun,
Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rajan Devi w/o Sh. Piar Singh, r/o Village Bhoranj Upprala, P.O. & Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Raj Kumari to Rajan Devi. I shall be known as Rajan Devi for all purposes in future. All concerned please note.

RAJAN DEVI
w/o Sh. Piar Singh,
r/o Village Bhoranj Upprala, P.O. & Tehsil Bhoranj,
Distt. Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Meenakshi Devi w/o Mr. Lokesh Kumar, r/o Tehsil Palampur, Village Loharal (206), P.O. Bindravan, Distt. Kangra (H.P.)-176 061 declare that my name has been wrongly mentioned as "Minakshi Devi", my correct name is "Meenakshi Devi". Both names refer to one and the same person. Henceforth, I shall be known by my correct name Meenakshi Devi for all legal and official purposes.

MEENAKSHI DEVI
w/o Mr. Lokesh Kumar,
r/o Tehsil Palampur, Village Loharal (206),
P.O. Bindravan, Distt. Kangra (H.P.)-176 061.

CHANGE OF NAME

I, Shiv Bhushan s/o Sh. Sahbo Ram, r/o Village Tabela, P.O. Goli, Tehsil Dalhousie, Distt. Chamba (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Nimesh to Namish. He shall be known as Namish for all purposes in future. All concerned please note.

SHIV BHUSHAN
s/o Sh. Sahbo Ram,
r/o Village Tabela, P.O. Goli,
Tehsil Dalhousie, Distt. Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Saniksha d/o Sh. Suriender Singh, r/o Village Bautinala, P.O. & Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that my name has been wrongly mentioned as Shinksha in my Aadhar Card No. 8203 2299 1762. Therefore it should be changed to Saniksha. Note the relevant information.

SANIKSHA
d/o Sh. Suriender Singh,
r/o Village Bautinala, P.O. & Tehsil Rohru,
Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Akshay Chauhan s/o Sh. Narinder Chauhan, r/o Village Chatri Bagahar (65), Tehsil Kotkhai, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my son's name from Rudransh Chauhan to Aayu Chauhan. All concerned please may note.

AKSHAY CHAUHAN
s/o Sh. Narinder Chauhan,
r/o Village Chatri Bagahar (65),
Tehsil Kotkhai, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Saniya Ram s/o Sh. Tholu, r/o Bela (Bashwa) Bela (233), Sirmaur (H.P.)-173 027 declare that I have changed my minor daughter's name from Ambika (Old Name) to Kumari Ambika (New Name). All concerned please may note.

SANIYA RAM
s/o Sh. Tholu,
r/o Bela (Bashwa) Bela (233),
Sirmaur (H.P.)-173 027.

CORRECTION OF NAME

I, Sumna Devi w/o Army No. 7073536A, Rank NK Makhan Lal, r/o V.P.O. Dodhamb, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) declare that my name Sita Devi is wrongly entered in my husband's Army Service record (Part-II). My correct name is Sumna Devi. Both the names are of one and same lady. All concerned note it.

SUMNA DEVI
w/o Sh. Makhan Lal,
r/o V.P.O. Dodhamb,
Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kirti Devi w/o Late Surinder Singh, r/o Village Kamlahadi, P.O. Bhanala, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) declare that in School Certificates of my daughter (Sukriti Jamwal) my name is wrongly entered as Kiriti Devi instead of Kirti Devi. Concerned note it.

KIRTI DEVI
w/o Late Surinder Singh,
r/o Village Kamlahadi, P.O. Bhanala,
Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Navjot Singh s/o Jamna Singh, r/o V.P.O. Pangi, Tehsil Kalpa, Distt. Kinnaur (H.P.) declare that I have changed my name from Kunga Thargye to Navjot Singh. Concerned note.

NAVJOT SINGH
s/o Jamna Singh,
r/o V.P.O. Pangi,
Tehsil Kalpa, Distt. Kinnaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Dolma Devi w/o Ghanshyam, r/o Village Pangliur, P.O. Sianj, Tehsil Chachyot, Distt. Mandi (H.P.) declare that I want to correct my name as Dolma Devi instead of Dola Devi in Aadhar records. All concerned please note.

DOLMA DEVI
w/o Ghanshyam,
r/o Village Pangliur, P.O. Sianj,
Tehsil Chachyot, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sunil Kumar s/o Sh. Surjeet Singh, r/o V.P.O. Paddar, Tehsil Dharamshala, Padar (512), Kangra (H.P.)-176 052 declare that I have changed my minor son's name in his Aadhar Card No. 5764 1805 7806 from Samesukhman to Sukhman. All concerned please may note.

SUNIL KUMAR
*s/o Sh. Surjeet Singh,
r/o V.P.O. Paddar,
Tehsil Dharamshala, Padar (512), Kangra (H.P.)-176 052.*

CHANGE OF NAME

I, Mahender Singh s/o Late Pritam, r/o Village Tarswan, P.O. Thaltukhod, Tehsil Padhar, Distt. Mandi (H.P.) declare that my name is wrongly recorded as Hem Chand in my Aadhar Card No. 7173 3714 5501 my correct name is Mahender Singh the correct name should be recorded in my Aadhar Card.

MAHENDER SINGH
*s/o Late Pritam,
r/o Village Tarswan, P.O. Thaltukhod,
Tehsil Padhar, Distt. Mandi (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Ravinder Kumar s/o Sh. Madho Ram, r/o Village Kuthed, P.O. Sherpur, Tehsil Dalhousie, Distt. Chamba (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Tamanna to Tanvi. She shall be known as Tanvi for all purposes in future. All concerned please note.

RAVINDER KUMAR
*s/o Sh. Madho Ram,
r/o Village Kuthed, P.O. Sherpur,
Tehsil Dalhousie, Distt. Chamba (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Tanish Verma s/o Sh. Kuldeep Singh Verma, r/o House No. 15, Type 3, CSKHPKV Holta,, P.O. Palampur, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is entered as Tanish which is incorrect. Whereas my correct name is Tanish Verma. Be noted.

TANISH VERMA
*s/o Sh. Kuldeep Singh Verma,
r/o House No. 15, Type 3, CSKHPKV Holta,, P.O. Palampur,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Manju Bhardwaj w/o Kuldeep Chand, r/o V.P.O. Kaled, Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Manjeet Bhardwaj to Manju Bhardwaj.

MANJU BHARDWAJ
w/o Kuldeep Chand,
r/o V.P.O. Kaled,
Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Monika w/o Sh. Dinesh Dasta, r/o Village Ramteri, P.O. Dharara, Tehsil Tikkar, Distt. Shimla (H.P.) declare that name of my daughter Sejal Dasta is wrongly mentioned as Sijuka in her Aadhar Card No. 3341 9911 6820. Therefore it should be changed to Sejal Dasta in her Aadhar Card. Not the relevant information.

MONIKA
w/o Sh. Dinesh Dasta,
r/o Village Ramteri, P.O. Dharara,
Tehsil Tikkar, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Santoshi w/o Sh. Desh Raj, r/o Village Thalathar, P.O. Larot, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Sarojni Devi in my Aadhar Card No. 3073 5049 8064. Therefore it should be changed to Santoshi. Note the relevant information.

SANTOSHI
w/o Sh. Desh Raj,
r/o Village Thalathar, P.O. Larot,
Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ashriti w/o Sh. Bharat Bhushan, r/o Village Sojla, P.O. Barthata, Tehsil Jubbal, Distt. Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Ashita Devi in my Aadhar Card No. 6859 2590 2283. Therefore it should be changed to Ashriti. Note the relevant information.

ASHRITI
w/o Sh. Bharat Bhushan,
r/o Village Sojla, P.O. Barthata,
Tehsil Jubbal, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rama Devi w/o Sh. Sanjeev Bhardwaj, V.P.O. Jharag, Tehsil Jubbal, Distt. Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Sapna Bhardwaj in my Aadhar Card No. 8411 7104 4969. Therefore it should be changed to Rama Devi. Note the relevant information.

RAMA DEVI
w/o Sh. Sanjeev Bhardwaj,
V.P.O. Jharag, Tehsil Jubbal,
Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Anita Devi w/o Sh. Bhag Singh, r/o Village & P.O. Gharwasra, Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 6078 0028 5689, my name is wrongly entered as Neeta Devi, whereas my correct name is Anita Devi. I shall be known as Anita Devi for all purposes in future. All concerned please note.

ANITA DEVI
w/o Sh. Bhag Singh,
r/o Village & P.O. Gharwasra,
Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.).

PERSONNEL, ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

APPOINTMENT TO THE POSTS OF STATE CHIEF INFORMATION COMMISSIONER AND
STATE INFORMATION COMMISSIONER IN HIMACHAL PRADESH STATE
INFORMATION COMMISSION.

Dated, the 18th February, 2026

Opening Date: 19-02-2026

Closing Date: 20-03-2026

Advertisement No.02/2026

1. In supersession of this department's advertisement No. 01/2026 dated 12-01-2026 to fill up the posts of State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner in Himachal Pradesh State Information Commission, fresh applications are invited from citizen of India for selection/appointment to the posts of State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner in Himachal Pradesh State Information Commission, under the provisions contained in Section 15 (5) & (6) of the Right to Information Act, 2005, due to policy decision of shifting the office of Himachal Pradesh State Information Commission from Shimla to Kangra at Dharamshala. The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioner shall be a person of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance and shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union territory, as the case may be or hold any other office of profit or connected with any

political party or carrying on any business or pursuing any profession. The term of holding office shall be three years from the date on which a State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner enter upon his office or till he attains the age of 65 years whichever is earlier.

2. Eligible and interested candidates can send their bio-data for the posts of State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner on prescribed Proforma (Annexure-A & Annexure-B) that can be downloaded from Administrative Reforms Department's website www.himachal.nic.in/ar. Applications should be addressed to the Secretary (AR) to the Govt. of H.P., Room No. A201 or A203 (Armsdale Building), H.P. Secretariat Shimla-2 through by post or be sent by e-mail to arsecy-hp@nic.in or arbr-hp@nic.in.

3. The last date of receipt of applications is 20-03-2026 upto 11:59 PM. Incomplete applications or applications received after deadlines will not be accepted. Advertisement is also uploaded on AR department website: www.himachal.nic.in/ar and HP State Information Commission website: www.hp.gov.in/sic.

Note:— 'For inquiry please contact on 0177-2880400, 2620560 any working day between 10:00 am to 5:00 pm'.

कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त के पदों पर नियुक्ति
दिनांक 18 फरवरी, 2026

आवेदन प्रारंभ होने की तिथि: 19-02-2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 20-03-2026

विज्ञापन संख्या: 02/2026

1. इस विभाग के विज्ञापन संख्या 01/2026 दिनांक 12-01-2026, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त के पदों को भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे, के स्थान पर, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्यालय को शिमला से कांगड़ा जिला के धर्मशाला में स्थानांतरित किए जाने संबंधी नीतिगत निर्णय के कारण, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (5) एवं (6) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त के पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु भारत के नागरिकों से नवीन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, जिन्हें विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम अथवा प्रशासन एवं शासन के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान एवं अनुभव हो तथा वे संसद के सदस्य या किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य न हों, जैसा भी मामला हो, और न ही किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन हों, न किसी राजनीतिक दल से संबद्ध हों तथा न ही कोई व्यवसाय कर रहे हों अथवा किसी पेशे का अनुसरण कर रहे हों। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त का पदधारण काल पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा।

2. पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त के पदों हेतु निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-ए एवं अनुबंध-बी) पर अपना बायोडाटा भेज सकते हैं, जिन्हें प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट www.himachal.nic.in/ar से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन सचिव (प्रशासनिक सुधार), हिमाचल प्रदेश सरकार, कक्ष संख्या A201 या A203 (आर्म्सडेल भवन), हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2 के नाम संबोधित किए जाएं अथवा ई-मेल के माध्यम से arsecy-hp@nic.in या arbr-hp@nic.in पद पर भेजे जा सकते हैं।

3. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 20-03-2026 को रात्रि 11:59 बजे तक है। अपूर्ण आवेदन अथवा निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

यह विज्ञापन प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट www-himachal.nic.in/ar तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट www.hp.gov.in/sic पर भी उपलब्ध है।

नोट:—किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के बीच दूरभाष संख्या 0177-2880400, 2620560 पर संपर्क किया जा सकता है।

Annexure-A

Application for the post of State Chief Information Commissioner in H.P. State Information Commission, Shimla-2

PROFORMA

Latest passport
Size photograph

1. Name of Applicant -----
2. Name of Father/Spouse -----
3. Date of Birth -----
4. Present Address -----
5. Permanent Address -----
6. Contact Number -----
 - (a) Telephone No. with STD code -----
 - (b) Mobile No. -----
 - (c) e-mail id -----
7. Qualifications -----
8. Specialization/eminence -----
9. Present Occupation -----
10. Achievements/Work experience (in brief) -----

Date: _____

Signature: _____

Place: _____

Name of Applicant: _____

Mobile No.: _____

अनुबंध-क

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन पत्र हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, शिमला-2
प्रपत्र

1. आवेदक का नाम: _____
2. पिता/पति का नाम: _____
3. जन्म तिथि: _____

नवीनतम पासपोर्ट
साइज फोटो यहां
चिपकाएं

4. वर्तमान पता:

.....

5. स्थायी पता:

.....

6. संपर्क विवरण:

(a) टेलीफोन नंबर (STD कोड सहित):

(b) मोबाइल नंबर:

(c) ई-मेल आईडी:

7. शैक्षणिक योग्यता:

.....

8. विशेषज्ञता/विशिष्टता:

.....

9. वर्तमान व्यवसाय/पेशा:

.....

10. उपलब्धियां/कार्य अनुभव (संक्षेप में):

.....

.....

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर:

आवेदक का नाम:

मोबाइल नंबर:

Annexure-B**Application for the post of State Information Commissioner in H.P. State Information Commission, Shimla-2****PROFORMA**

Latest passport Size photograph

1. Name of Applicant -----
2. Name of Father/Spouse -----
3. Date of Birth -----
4. Present Address -----
5. Permanent Address -----
6. Contact Number -----
 - (a) Telephone No. with STD code -----
 - (b) Mobile No. -----
 - (c) e-mail id -----
7. Qualifications -----
8. Specialization/eminence -----

9. Present Occupation -----

10. Achievements/Work experience (in brief) -----

Date: _____

Signature: _____

Place: _____

Name of Applicant: _____

Mobile No.: _____

अनुबंध-ख

राज्य सूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन पत्र हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, शिमला-2
प्रपत्र

1. आवेदक का नाम:

2. पिता/पति का नाम:

3. जन्म तिथि:

4. वर्तमान पता:

5. स्थायी पता:

6. संपर्क विवरण:

(a) टेलीफोन नंबर (STD कोड सहित):

(b) मोबाइल नंबर:

(c) ई-मेल आईडी:

7. शैक्षणिक योग्यता:

8. विशेषज्ञता/विशिष्टता:

9. वर्तमान व्यवसाय/पेशा:

10. उपलब्धियां/कार्य अनुभव (संक्षेप में):

तारीख: _____

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

आवेदक का नाम: _____

मोबाइल नंबर: _____

नवीनतम पासपोर्ट
साइज फोटो यहां
चिपकाएं